खण्ड-130, अंक-1
शनिवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(20 फरवरी, 1954 ई0)

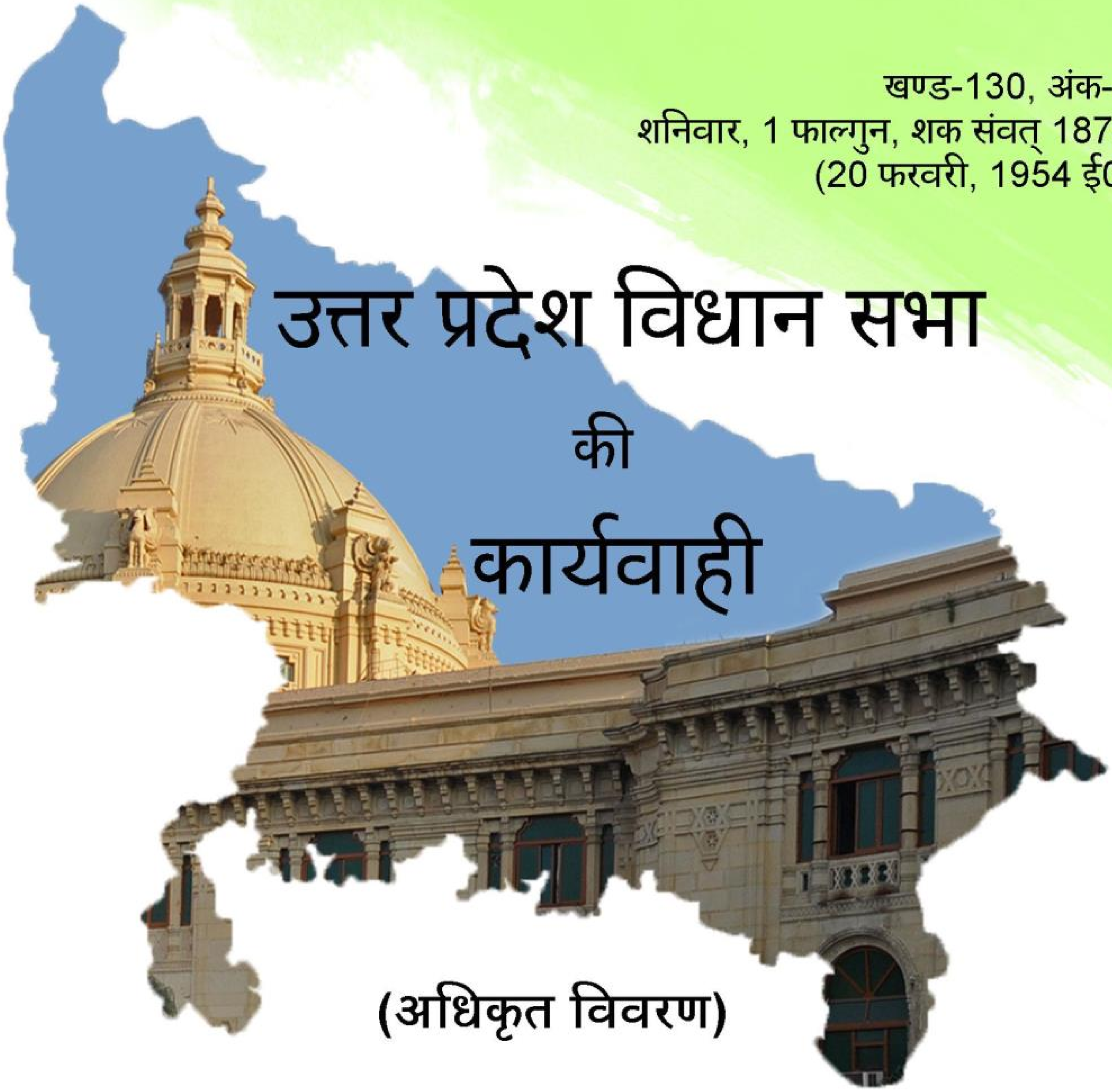

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २० फ़रवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की (सूची) ३४७

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवदीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नोलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)।
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महोलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल शर्मा, श्री
विष्णुशरण दुबिलश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर,
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

—:o:—

आय व्ययक की प्रतियां समय पर प्राप्त न होने के कारण सदन की कार्यवाही का स्थगन

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) —माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि बजट की कापी इलाहाबाद से कल शाम को साढ़े आठ बजे चलने के बावजूद अभी तक यहां पहुंची नहीं है। मेरे पास सिवा मेरी स्पीच के और कुछ पेश करने के लिये नहीं है और बजट फौरन् पेश हो नहीं सकता इसलिये मैं जनाब से यह दरख्वास्त करता हूं कि उसका प्रेजेंटेशन ४ बजे तक के लिये मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह शुरू शुरू में ही बड़ा अपशकुन हुआ। जब मैं आज चलने लगा तो मेरे खाने की सामग्री तथा तेल दोनों चुक गये थे तो मैंने समझा और अन्दाजा लगाया कि आज कोई ऐसा बजट पेश होने वाला है जिससे मुल्क और भी ग़रीब बन जायगा। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी से इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ४ बजे तक के लिये क्यों पोस्टपोन करते हैं, इसको उस वक्त तक के लिये पोस्टपोन किया जाय जब तक कि आप दूसरा बजट बना कर इस सदन के सामने लावें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अब मुझे मालूम हुआ कि क्यों वह बजट यहां नहीं पहुंचा है। इसीलिये कि इस बीच में आप को खाना भी काफी मिल जायगा और तेल वगैरह भी मिल जायगा। मुझे इस बात का खेद है कि सदस्यों को इतनी असुविधा हुई और यहां एक काम के लिये दूसरी मर्तबा आना पड़ेगा। शायद मौसम की वजह से या और किसी वजह से बजट की कापीज अभी तक यहां नहीं पहुंच सकी हैं लेकिन आशा है कि ४ बजे तक अवश्य पहुंच जायंगी। तो आप जैसा उचित समझें ४ बजे का समय रख दें या ५ बजे का समय इसके लिये रख दें। दूसरे सेट के लिये इलाहाबाद खबर भेज दी गई है और पहला सेट नहीं पहुंचा तो दूसरा सेट ४ बजे तक जरूर आ जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद से एक ट्रक बजट की कापी लेकर चली है लेकिन वह नहीं पहुंची है। जब कोई भी बात होती है तो इलाहाबाद का नाम लेकर एक प्रकार से दोष मेरे ही शहर को दिया जाता है। मुमकिन है कि इलाहाबाद से वह ट्रक चला हो और प्रतापगढ़ में अटक गया हो या रायबरेली में अटक गया हो या लखनऊ में ही कहीं पर हो, तो कम से कम मेरे शहर को दोष न लगावें।

श्री राजनारायण—अभी मेरे कमरे में श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा से मालूम हुआ था कि माननीय वित्त मंत्री जी की स्पीच तैयार है शायद १५ कापीज बजट की भी हैं। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसको उचित नहीं समझते हैं कि डिफ़रेंट पार्टीज के लीडर को बजट की कापी दे दी जाय और माननीय वित्त मंत्री जी अपना भाषण भी दे दें और जब बजट की और कापीज आ जायं तो वे मेम्बरों के पास पहुंचा दी जायं?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—यह बात तो हो सकती है मगर एक बजट प्रेजेन्ट करते समय हर एक मेम्बर के पास हो यह एक सालेमन सी चीज़ है। अच्छा नहीं लगता। उनकी स्पीच तो मौजूद है वह पढ़ सकते हैं और दस पन्द्रह कापियां भी बजट की हैं लेकिन वह शोभा की बात नहीं है, एक सालेमन सी चीज है अच्छा नहीं लगता। पढ़ने को पढ़ दिया जाय लेकिन वह ऐसा लगेगा मानो कोई डिक्टेशन सा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन की राय है कि ४ बजे तक के लिये यह कार्य स्थगित किया जाय।

(सदन ने अनुमति दी।)

(इस समय ११ बज कर ७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५४–५५ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का सन् १९५४–५५ ई० का बजट उपस्थित करता हूं।

२—किसी भी राज्य का बजट एक ऐसा आइना या दर्पण होता है, जिसमें उस राज्य की नीतियों की सच्ची झलक दिखाई देती है और बजट के तखमीने हम तभी ठीक-ठीक समझ सकते हैं, जब हम उन आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों को भी ध्यान में रक्खें जिनके आधार पर राज्य की नीति स्थापित होती है। इसलिये अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अब तक जो हमारी नीति वित्त सम्बन्धी मामलों में रही है, उसका उद्देश्य या मक़सद क्या है और क्या उद्देश्य या मक़सद हमने आगे के लिये अपने सामने रक्खा है।

३—जैसा कि सदन के सदस्यों को याद होगा, सन् १९४७ में जब हमने राज्य की बाग-डोर पूरे तौर से अपने हाथ में ली तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। सारे देश में अकाल का डर था। रुपये की कीमत दिन प्रति दिन तेजी से घटी जा रही थी। अराजकता और सीनाजोरी बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में शरणार्थियों के आ जाने की वजह से एक बड़ी कठिन राजनैतिक और शासकीय समस्या पैदा हो गयी थी। इसके बरखिलाफ हालांकि आज हमारी आबादी तब से बढ़ गयी है, हम बहुत हद तक अपने खाने-पीने की चीजों की जरूरियात खुद पूरी कर सकते हैं। रुपये की क़ीमत में जो कमी हो रही थी, उसे रोक दिया गया है और चीजों की क़ीमतें भी अब नहीं बढ़ रही हैं। शरणार्थियों को फिर बसाने की समस्या भी संतोषजनक तरीके से हल कर दी गयी है। जबर्दस्ती और सीनाजोरी की तरफ जो लोगों का झुकाव होता जा रहा था। उसको भी रोक दिया गया है और बहुत से डाकुओं के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है, इसके साथ-साथ, सरकारी खर्चे के प्रोग्राम बहुत एहतियात से बनाये गये हैं जिसका नतीजा यह हुआ कि देश में काफी पूंजी जमा हो सकी है। हमने बहुत से बड़े-बड़े बिजली घर बनाये, हजारों मील लम्बी सड़कें बनायीं और बड़ी तादाद में स्कूल और अस्पताल खोले। हमने मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकान बनाने की बड़ी-बड़ी योजना सफलता के साथ पूरी की और एक हद तक सड़कों पर चलने वाले यातायात का राष्ट्रीयकरण किया इसके अलावा हमने बड़े-बड़े उद्योग-धंधे चलाने का काम भी अपने हाथ में लिया है। सन् १९४६ से इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक जितना पूंजी व्यय (Capital Expenditure) सरकार ने किया उसका हवाला यह है—२५.४७ करोड़ रुपया सिंचाई के कामों पर, २४.८५ करोड़ रुपया बिजली पैदा करने की योजनाओं पर, ३२.३० करोड़ रुपया सड़कों और इमारतों पर, ३.९८ करोड़ रुपया राष्ट्रीकरण किये हुए सड़कों के यातायात पर, ३.८५ करोड़ रुपया उद्योग-धंधों के विकास पर। अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति या माली हालत सुधारने के लिए इतना व्यय करना जरूरी था। हालांकि हमने बहुत

बड़ी रक़म इन कामों पर खर्च की, वह रुपया इस राज्य के विकास के काम को पूरा करने के लिये काफी नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा रुपये का प्रबन्ध, अपने रिजर्व फंड से मदद लेकर भी हम नहीं कर सकते थे। एक पूर्ण welfare state स्थापित होने पर जैसे जैसे देश के रहनेवालों की भलाई के काम बढ़ते जाते हैं, वैसे ही सरकार का खर्चा भी बराबर बढ़ता जाता है। जैसा कि उम्मेद की जा सकती थी, जो बजट सरकार ने अगले वर्ष के लिये बनाया है, उसमें विकास के कामों पर खर्च ज्यादा रफ्तार से होता नजर आता है। अगले साल में केवल उन स्कीमों पर ही जो पंच-वर्षीय योजना में शामिल हैं ३० करोड़ रुपये के करीब खर्च होगा। जो अधिक रुपया विकास के काम के लिए रक्खा गया है, उसका इन्तजाम टैक्स बढ़ा कर किया जा सकता था और हमारे देश में एक महत्वपूर्ण दल ऐसे आदमियों का है, जो ऐसा ख्याल रखते हैं कि अभी टैक्सों में इजाफा करने की गुंजाइश है, लेकिन मैं इसी वक्त यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक बिना टैक्स बढ़ाये पंच-वर्षीय योजना की सफलता खतरे में पड़ती नजर न आती हो, तब तक सरकार इस समय कोई नया टैक्स लगाने का ख्याल नहीं रखती। (हर्षध्वनि)

४—पिछले चन्द वर्षों की तरह इस साल भी बजट बनाने में यह बात सामने रक्खी गयी है कि बजट किसी कौम या मुल्क के आगे बढ़ने की रफ्तार पर बड़ा प्रभाव या असर रखता है। सरकारी विभागों में से शायद मुश्किल ही से और कोई महकमा निकले जिसका एक देश की उन्नति के साथ इतना गहरा सम्बन्ध या ताल्लुक़ हो जितना कि वित्त विभाग का उससे सम्बन्ध रहता है और हर देश के बजट भी उस देश के उत्थान और उन्नति से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। प्रजातंत्र या जम्हूरियत में जनता के प्रतिनिधियों का यह कर्त्तव्य या फर्ज है कि दूरंदेशी से ऐसे बजट बनाये जिनके जरिये से देश को बड़ी शक्ति प्राप्त हो।

५—उत्तर प्रदेश के रहने वालों के जीवन का स्तर यानी standard of living बहुत नीचा है, वे ग़रीब हैं। उनमें शिक्षा यानी तालीम की कमी है। उनकी खेती घटिया है और उनके यहां इतने उद्योग-धंधे नहीं हैं जिनमें उन सबको काम मिल सके और जो कुछ उद्योग-धंधे हैं भी वे कमजोर हैं। बीमार होने पर उनको इलाज के काफी साधन नहीं मिलते और बहुत से लोग बेरोजगारी के शिकार बने रहते हैं और ये हैं कौन? काश्तकार जिनकी बड़ी बहुमत या अक्सरियत है, मजदूर, दस्तकारी पेशा, तिजारतें करने वाले, पढ़ाने वाले और दूसरा पेशा करने वाले वगैरह वगैरह। सरकार का यह फ़र्ज है कि इन सब के जीवन का स्तर यानी standard of living ऊंचा करने के लिये जो कुछ भी उसकी ताकत में हो, उसे करे और ऐसा करने के लिये जो बातें जरूरी हैं, वे हैं आमदनी बढ़ाना और उसकी बांट को मुनासिब बनाना, पढ़ाना-लिखाना, स्वास्थ्य या तन्दुरुस्ती को बढ़ाना और बेरोजगारी को खोना, जिसको दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि खेती की तरक्की देना, उद्योग-धंधों को बढ़ाना, तिजारत को तरक्की देना, उत्पादन को बढ़ाना और शफाखाने, अस्पताल स्कूल और कालेज कायम करना। इन सब कामों को करने का काम विकास है, उसको अंग्रेजी में Development कहते हैं। जिन-जिन विशेष दिशाओं में इस राज्य के अन्दर विकास का कार्य हो रहा है, उसका मैं आगे वर्णन करूंगा या बतलाऊंगा कि जो वर्ष अब गुजरने वाला है उसके आरम्भ के वक्त कितना विकास हो चुका था और इस साल के अन्दर कितना हुआ और आगामी वर्ष में कितना होने वाला है। मगर इससे पहिले इसके सम्बन्ध में कुछ बतलाया जाय यह बता देना जरूरी मालूम होता है कि सन् १९५१–५२ से जो विकास का काम इस प्रदेश में हो रहा है वह पंच-वर्षीय योजना के मातहत किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने एक Planning Commission भारत के तमाम राज्यों के लिये बनवायी और इस लिये बनवायी कि इस योजना में ऐसे-ऐसे काम रक्खे जायं जिनसे २२ वर्ष में भारत में रहने वालों की आमदनी दुगुनी हो जाय और इन कामों की तरतीब ऐसी रक्खी जाय कि बढ़ने वाली आमदनी किसी खास क्लास या जमाअत में महदूद न हो जाय बल्कि उसका द्वारा सभी रहने वालों में ठीक तौर पर हो जिसको अगर अंग्रेजी में कहा जाय तो यों कह सकते हैं कि दौलत

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

की तकसीम Equitable हो। इस राज्य में विकास का काम इसी मकसद से हो रहा है। इस राज्य से सम्बन्धित पंच-वर्षीय योजना में १९५५-५६ के आखिर तक १३० करोड़ रुपया खर्च होगा और जिस रफ्तार से अब काम हो रहा है उससे हमको पूरी आशा होती है कि हम इस योजना को समय के अन्दर पूरा कर सकेंगे। वास्तव में हमारी कोशिश तो यह है कि हम काम की रफ्तार को और तेज भी कर दें, ताकि अगर मुमकिन हो सके, तो वक्त से पहिले ही योजना के कामों को पूरा कर लें।

६—उन विकास के कामों में जिनके लिये अगले साल के बजट में रुपया रक्खा गया है बाजे-बाजे इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं आय और व्यय से सम्बन्धित बातें करने से पहिले उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, हालांकि मैं उन कामों का जिक्र बाद में और विकास के कामों का हवाला देते वक्त फिर ज्यादा विस्तार के साथ करूंगा। हमारी रिहन्द डैम की योजना जिस पर ३५ करोड़ रुपया खर्च होगा इस प्रदेश की पंच-वर्षीय योजना में शामिल कर ली गयी है, और इसलिये बजट के साल में इस योजना पर पूरी रफ्तार से काम किया जायेगा जिसके लिये बजट में ४ करोड़ रुपया रक्खा गया है। इसके अलावा हमीरपुर जिले में अर्जुन डैम मिर्जापुर जिले में अहरौरा डैम और बनारस जिले में चन्द्रप्रभा डैम पर काम खत्म किया जायेगा और वे सब डैम काम में आने लगेंगे। ४८० मील लम्बी सिंचाई की चेनल बनेंगी, ८३४ नये नलकूप तैयार हो जायेंगे और काम करने लगेंगे। जितनी बिजली हम पैदा करते हैं, उससे ४०,००० किलोवाट और पैदा करने लगेंगे। पथरी और खटीमा के बड़े बड़े Hydro-electric station पूरे हो जायेंगे और वहां से बहुत से जिलों में बिजली पहुंचने लगेगी। नीबकरोरी, सुहावल, गुरुसहायगंज, गोरखपुर और मऊ में नये Thermal Station बनाये जायेंगे और नयी बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें भी डाली जायेंगी। उद्योग धंधों के विकास के क्षेत्र में भी जो भाग सरकार स्वयं ले रही है, उसमें भी तरक्की नजर आयेगी। मिर्जापुर जिले में ७०० टन सीमेंट पैदा करने वाली जो सरकारी फैक्टरी स्थापित की जा रही है, वह अगले वर्ष में पूरी हो जायेगी और सीमेंट बनाना शुरू कर देगी। छोटे उद्योग धंधों की मदद देने के लिये एक Industrial Finance Corporation बनायी जायगी। कर्घा, फलों को बहुत समय तक रखने का काम और दूसरे घरेलू उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये विशेष रूप से कार्य किया जायेगा। उद्योग-धंधों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकान बनाने की जो योजना है, उसके तीसरे भाग पर काम शुरू होगा और मुमकिन हुआ तो बजट के साल में ही पूरा कर दिया जायगा और इस पर २ करोड़ रुपया खर्च होगा। सड़कों की दशा में सुधार करने और नयी सड़कों को बनाने का काम भी हाथ में लिया जायगा। ३,००० जूनियर हाई स्कूलों में दूसरी शिक्षा के साथ कृषि या खेती की शिक्षा देने की एक महत्व-पूर्ण स्कीम भी शुरू की जायगी। तपेदिक के मरीजों के लिए एक बड़ा अस्पताल खोला जा रहा है, जिसमें १०० मरीज तक भर्ती हो सकते हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि या खेती और पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाली कई नयी योजनायें भी शुरू की जायंगी। इटावा के Pilot Project के अधीन एक तीसरा यूनिट काम शुरू करेगा। National extention service योजना के अधीन ४० Block खोले जायंगे, जहां इस साल के बजट में विकास के कार्य के लिये पूंजी व्यय (Capital expenditure) और राजस्व व्यय (Revenue expenditure) को मिला कर ४४ ३/४ करोड़ रुपया रक्खा था, अगले साल उस काम के लिये ६० करोड़ रुपया रक्खा जा रहा है, और इस से यह साफ जाहिर है कि आगे अगले साल राज्य पर खर्च का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा।

७—अब मैं सदन के सामने बजट के वे आंकड़े पेश करूंगा जिनमें राज्य की १९५२-५३ की असली आमदनी, और खर्च, और १९५३-५४ के दुहराये हुये तखमीने और १९५४-५५ के बजट तखमीने संक्षिप्त में बताये गये हैं।

८—नीचे दिये हुए नक्शे में १९५२–५३ के लेखे संक्षिप्त में दिये गये हैं :—

(लाख रुपयों में)

	मूल बजट (Original budget)	वास्तविक आंकड़े (Actuals)
आरम्भिक शेष— (opening balance)—	२२	२२
१—संचित निधि (consolidated fund) —		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Head) —		
(१) प्राप्तियां (Receipts) ..	६०,९९	६४,८३
(२) व्यय (Charges)	६५,२३	६४,८३
	–४,२४	..
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure) ..	२०,७४	१४,९८
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from public loans)	+११,००	+५,६५
(घ) दूसरे ऋणों और जमा शीर्षक (शुद्ध) [other debts and deposit heads (net)] ..	+३,८८	+२,७७
२—आकस्मिकता व्यय निधि (contingency fund) ..		–५
३—सार्वजनिक लेखा शुद्ध [Public account (net)]	+११,८०	+१३,९५
इस वर्ष में हुए सभी लेन देन का शुद्ध फल (Net results of all the transactions in the year)	+१,७०	+७,३४
अन्तिम शेष (closing balance) ..	१,९२	७,५६

९—संघ सरकार (Union Government) से Excise के कुछ महसूलों में राज्य को भाग मिलने के कारण राज्य के साधनों में ३२० लाख रुपये की बढ़ती हुई आयकर (Income Tax) और कृषि सम्बन्धी कर (Agricultural Income Tax) से होने वाली प्राप्तियों से राज्य सरकार को मिलने वाले भाग में लगभग २० लाख रुपये की बढ़ती हुई लेकिन ये बढ़तियां राज्य के दूसरे साधनों में काफी कमी होने के कारण बहुत हद तक संतुलित (counter-balanced) हो गयीं। बिक्री-कर (Sales Tax) मनोरंजन-कर (Entertainment Tax) बाजी लगाने के कर (Betting Tax) और गन्ना उपकर (Sugarcess) से होने वाली प्राप्तियों में ४२ लाख रु० की कमी हुई। Excise और जंगलात से होने वाली प्राप्तियों में क्रमशः (respectively) १५ लाख रुपये और १९ लाख रुपये की कमी हुई। सिंचाई से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों (Net Irrigation receipts) में २२ लाख रुपये की कमी हुई और राज्य के कृषि (Agriculture) और पशु चिकित्सा सम्बन्धी (veterinary) फार्मों से होने वाली प्राप्तियों में ३१ लाख रुपये की कमी हुई। कपड़े और सूत की कीमत और तकसीम के Control को कम करने के कारण असाधारण प्राप्तियों (Extra-ordinary receipts) के अधीन २४ लाख रुपये की कमी हुई। पंचायतों के चुनाव के मुल्तवी हो जाने के कारण ७० लाख की और कमी हुई।

इनका और दूसरी कमियों और बढ़तियों का शुद्ध परिणाम (Net result) यह हुआ कि आमदनियों के मुकाबिले में पहिले खर्चे में जितनी बढ़ती की उम्मीद थी वह ४२४ लाख रुपये से घट कर २९२ लाख ही रही। खर्च की यह बढ़ती राजस्व सुरक्षित निधि

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

(Revenue Reserve Fund) से २९२ लाख रुपया निकाल कर पूरी की गयी। बजट के पूंजी भाग (Capital portion) में केवल अनाजों की सप्लाई और तकसीम पर से कन्ट्रोल कम कर देने से शुद्ध व्यय (Net expenditure) में ५७६ लाख रुपये की कमी हुई।

१०—नीचे लिखे हुये अंक (figures) चालू मालयाती साल के दुहराये हुए तखमीनों को संक्षिप्त में दिखाते हैं:—

(लाख रुपयों में)

	मूल बजट (Original budget)	दुहराये गये तखमीने (revised)
आरम्भिक शेष (opening balance) ..	१,९५	७,५६
१—संचित निधि (Consolidated fund)—		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)—		
(१) प्राप्तियां (Receipts)	७४,३८	७३,५४
(२) व्यय (Charges)	७८,८०	७३,५४
	—४,४२	..
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure)—	७,०९	८,२७
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from public loans)	+३,००	+५,४०
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debt and deposit heads] (net)]	+६,२६	+७,८०
२—आकस्मिकता व्यय निधि (Contingency fund)		—५
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account] (net)	+१,६६	—१०,११
इस वर्ष में सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all the transactions in the year)	—५९	—५,२३
अन्तिम शेष (Closing balance)	१,३६	२,३३

११—चूंकि सिंचाई की दुहराई हुई दरें साल के दूसरे हिस्से में लागू की गयी थीं इसलिये सिंचाई की शुद्ध प्राप्तियों (Net Receipts) में मूल बजट के तखमीनों (Original budget estimates) से २५० लाख रुपये की कमी की उम्मीद की जाती है। पंचायत चुनावों के मुल्तवी हो जाने से ७० लाख रुपये की एक और कमी हो गयी। इस बात की सम्भावना है कि राज्य की Excise की प्राप्तियां और संघ सरकार (union Government) के Excise महसूलों में इस राज्य का भाग दोनों मिला कर २४ लाख रुपये के लगभग कम होंगे। दूसरी तरफ चूंकि इस साल जमींदारी विनाश बांड (Zamindari Abolitions Bonds) जारी नहीं किये जा सके, इसलिये उन पर समीकृत (Equated)

किस्तों की अदाई के लिए बजट में ४०३ लाख रुपये की जो रकम रक्खी गयी थी, वह काम में नहीं लायी जायगी। चूंकि चालू ऋणों (Floating loans) पर मिलने वाला सूद इतना नहीं होगा जितने कि पहिले उम्मीद थी और पुनर्वाससम्बन्धी (Rehabilitation loans) की अदाई के लिये जितनी रकम रक्खी गयी थी, उसे उस साल काम में लाने की सम्भावना नहीं है, इसलिये व्यय के मूल तखमीने में ५३ लाख रुपये की और कमी होने की आशा है। कागजातदेही के अमले (Land records staff) का फिर से संगठन करने से मालगुजारी के बजट में ५० लाख रुपये की बचत की गयी है। किफायतशारी की तदबीरों को लागू करने से पुलिस अनुदान (Police grant) और सामान्य प्रशासन अनुदान (General administration grant) के अधीन २१ लाख रुपये की कमी की गयी है। ऊपर दी हुई और दूसरी कमियों और बढ़तियों से राजस्व (Revenue) में पहिले जो ४४२ लाख रुपये की कमी की उम्मीद की गयी थी, अब इससे घट कर २५९ लाख रह जाने की सम्भावना है। यह कमी राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) से इतनी ही रक़म लेकर पूरी कर दी जायगी।

१२—नीचे दी हुई तालिका (table) में बजट के तखमीने संक्षिप्त में दिखाये गये हैं:—

	(लाख रुपयों में)
आरम्भिक शेष (Opening balance)	२,३३
१—संचित निधि (consolidated fund)—	
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)—	
(१) प्राप्तियां (Receipts)	७७,१६
(२) व्यय (Charges)	८१,०७
	–३,९१
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure)	२०,२२
(ग) सार्वजनिक ऋण से शुद्ध प्राप्तियां (Net Receipts for Public loans)	+६,००
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debt and deposits] (net)	+२०,०१
२—आकस्मिकता व्यय निधि (contingency fund) ..	..
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account (net)] ..	–२,५६
इस वर्ष में हुये सभी लेन देन का शुद्ध फल (net result of all the transations in the year)	–६८
अन्तिम शेष (Closing balance)	१,६५

१३—बजट वर्ष में मालगुजारी और जंगलात से होने वाली प्राप्तियों में कुल ११० लाख रुपये की बढ़ती होने की उम्मीद है। मुद्रा अंकों (Stamps), गन्ना उपकर की प्राप्तियों (Sugar Cess receipts), शिक्षा और पुलिस विभागों की प्राप्तियों और बिजली योजनाओं से होने वाली प्राप्तियों में कुल १५६ लाख की बढ़ती होने की आशा है। दूसरी तरफ बजट के तखमीनों में शिक्षा के खर्च में ९२ लाख रुपये, जंगलात के खर्च में २६ लाख

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

रुपये, और चिकित्सा विभाग के खर्चे में १९ लाख रुपये, और ऋणों को कम करने या इससे बचने (Reduction or Avoidence of Debt) में ८१ लाख रुपये की बढ़ती जाहिर होती है। इन और दूसरी कमियों और बढ़तियों का शुद्ध फल यह है कि बजट वर्ष में चालू वर्ष के मुकाबिले में ५१ लाख रुपये की बचत की उम्मीद है, यानी चालू वर्ष के ४४२ लाख रुपये के मुकाबिले में बजट वर्ष में राजस्व की कमी का मूल तखमीना ३९१ लाख रुपया है, जो कमी अपने साधनों को बढ़ा कर या किफायत कर के पूरी नहीं की जा सकती, इस को पूरा करने के लिए बजट वर्ष में भी राजस्व सुरक्षित निधि से रुपया निकालना पड़ेगा। यह लगातार ऐसा तीसरा वर्ष होगा, जिसमें इस तरह रुपया निकालना पड़ा है, और इससे जाहिर होता है कि सरकार द्वारा चालू किये गये विकास कार्यक्रम को पूरा करने के कारण सरकार को वित्तीय स्थिति पर कितना भार पड़ा है।

१४---जैसा कि मैंने चालू वर्ष का बजट पेश करते हुये कहा था, विकास के समय जब कि विकास के कार्यक्रम खर्च को पूरा करने के लिये इतना क़र्ज लिया जा रहा है, जितना मुमकिन है, सरकार की कर्जदारी का बढ़ना अनिवार्य है। सिंचाई, बिजली, सड़क और उद्योग योजनाओं (Industrial projects) का काम हर वर्ष इस तेजी से बढ़ रहा है कि पहिले कभी नहीं बढ़ा था। जब १९४६ में हमने शासन अपने हाथ में लिया था, उस समय ऐसी योजनाओं पर वार्षिक व्यय के आंकड़ों और उन्हीं के अनुसार आने वाले वर्ष के बजट में दिये गये आंकड़ों का मुकाबिला ऐसा प्रभावित (Impressive) करने वाला है कि मेरे लिए इस बात पर और ज्यादा जोर देना जरूरी नहीं है कि सरकार इस राज्य के लोगों के रहन-सहन के दर्जा को ऊंचा करने के लिये किस क़दर कोशिश कर रही है। सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य (Irrigation works) पर होने वाला पूंजी व्यय (Capital expenditure) १९४५-४६ में ४९ लाख रुपया था, इसके अनुसार अगले वर्ष के बजट में दिये हुए आंकड़े १०,५५ लाख रुपये हैं। १९४५-४६ में बिजली योजनाओं पर होने वाला पूंजी व्यय ५२ लाख रुपया था। इसके अनुसार १९५४-५५ के बजट में होने वाला व्यय १,०२४ लाख रुपया होगा। १९४५-४६ में उद्योग विकास की योजनाओं (Schemes of Industrial development) पर कोई पूंजी लागत नहीं था। बजट वर्ष में ११६ लाख रुपया सरकारी सिमेंट फैक्टरी प्रोजेक्ट को पूरा करने और राज्य की एक औद्योगिक फाइनेंस कारपोरेशन (State Industrial Finance corporation) स्थापित करने इत्यादि में खर्च किया जायेगा। सड़कों और इमारतों के बनाने में होने वाला पूंजी व्यय (Capital expenditure) जो १९४५-४६ में ४८ लाख रुपया था, इस बजट में बढ़ कर ३३३ लाख रुपया हो जाने की उम्मीद है। पूंजी व्यय में इन बढ़तियों के कारण राज्य की कर्जदारी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और कर्ज अदा करने का बोझ भी हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। परन्तु सरकार इन ऋणों को अदा करने के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया रख रही है ताकि विकास व्यय (Development expenditure) में होने वाली जाहिर बढ़तियां (expectacular increase) के होते हुए भी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है राज्य की माली दशा की हिफाजत की जा रही है। अगर्चे बहुत से लिये हुये ऋणों के बारे में, अदायगी के जखीरों का कायम करना जरूरी नहीं है, फिर भी हमने उनके लिये अदायगी के जखीरे खोले हैं और इससे बढ़ कर हम अदायगी के इन जखीरों में इतनी रकमें डाल रहे हैं कि मुकर्रर मियाद में कर्जे अदा हो जायं। इसके अलावा हमारे विकास ऋणों पर दिया जाने वाला सूद हमारे उन मौजूदा प्रोजेक्ट की मुनाफों से पूरी तरह अदा किया जायगा जो पब्लिक के फायदे के लिये कायम किये गए हैं। इसलिये माली बेहतरी के विचार से राज्य की हालत काफी सन्तोषजनक है। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर खास तौर से विचार करे कि यह हालत ऐसे समय में कायम रक्खी गयी है, जो कि हमने विकास के लिये व्यय करना (development expenditure) इस हद तक शुरू किया है, जिस हद तक नियत समय (scheduled period) के अन्दर राज्य की पंच-वर्षीय योजना (State Five year plan) के पूरा होने का यकीन हो जाय।

१५––माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि इस प्रदेश के वित्तीय साधनों और पंच-वर्षीय योजना के खर्चे में शुरू में इतना अन्तर था कि वास्तव में शुबहा होता था कि उस कमी को पूरा किया जा सकेगा, लेकिन मुझे खुशी है मुतवातिर कोशिशों द्वारा हम उसको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ टैक्स लगा कर, कुछ बाजार से कर्जा पा कर और खर्चों में कमी कर के हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं जो हमने प्लानिंग कमीशन से किया कि हम प्लान के खर्चे के लिये अपनी कोशिश से भी वित्तीय साधन पैदा करेंगे। पिछले साल जब यहां फाइनेंस कमीशन आया था उस वक्त हम उसको यह समझाने में कामयाब हो गये कि हम इस देश के साधनों में से उससे अधिक पाने के मुश्तहक़ हैं जितना हमको मिला है। इसके परिणाम में हमको केंद्रीय सरकार की एक्साइज की आमदनी में से हिस्सा मिला है। हम इसमें भी कामयाब हुए हैं कि हिन्द सरकार हमको ऋण द्वारा सहायता देने की बात को ज्यादा हमदर्दी से सोचे। जितना भी रुपया हमको इस तरह मिला है, वह प्लान की योजना पर व्यय किया गया है। मैं यहां यह चाहता हूं कि यह बात हर एक पर साफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश इतना खर्च कर रहा है जितना कि मुकर्ररा अवधि में प्लान के काम में पूर्ति के लिये करना चाहिये। चालू वर्ष के अन्त तक हम प्लान पर ६२ करोड़ रुपया व्यय कर चुकेंगे। आगामी साल के इस बजट में जिस खर्चे के लिए ३० करोड़ रुपया खर्चा रखा गया है। अगर हमको केन्द्रीय सरकार से कुछ अधिक सहायता मिली और कुछ बढ़ोत्तरी उस सहायता में हुई, जो सरकार को एक तरफ श्रमदान की सूरत में और दूसरी तरफ थोड़ी थोडी बचतों को राज्य के विकास के ऋणों में लगाने से मिलती रही है, इसमें कोई शुबहा नहीं है कि हम वह खर्चा करने में भी सफल होंगे, जो हमको उत्तर प्रदेश के प्लान में सन् १९५५–५६ में आगामी वर्ष के खर्चे से भी अधिक लगाना होगा जिसका परिणाम यह होगा कि हमारी पंच-वर्षीय योजना का कार्य अवधि के अन्दर समाप्त हो सकेगा। यह एक बहुत बड़ी और शानदार कामयाबी होगी, न केवल इसलिये कि इन कामों को पूरा होने से इस प्रदेश को माली फायदा होगा, बल्कि इसलिये भी कि इस प्लान में हमारा विश्वास है, और इसके काम का वक्त पर समाप्त और कामयाब होना उस भरोसे को जो इस प्रदेश के रहने वालों को अपने ऊपर है, बढ़ायेगा और इसका यकीन दिलायेगा कि वह वास्तव में अपना भविष्य बना सकते हैं। प्लान सफलता से पूरा होना यह हिम्मत पैदा करेगा कि हम इस प्लान से भी बड़ा दूसरा प्लान ज्यादा हौसले से बनायें। जिसमें सामाजिक सुरक्षा (social Security), सामाजिक संगठन (social organisation), औद्योगीकरण (industrialisation) को सब से ऊंची जगह दी जाय, ताकि हमारा प्रदेश एक अधिक सम्पन्न और कल्याणकारी राज्य बनाने में सफल हो।

१६––मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलोजिकल वातावरण जितना बनना अगले प्लान की सफलता के लिये आवश्यक है और सहयोग की भावना और त्याग जो विकास के कामों के लिये आवश्यक है, उनका अब से भी अधिक ऊंचे दर्जे पर कायम रहना वे चीजें हैं जो इस पहिले प्लान की सफलता पर निर्भर है। इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर पुरुष व स्त्री जो यहां रहता है उन साधनों को पैदा करने में जिनका पैदा करना इस प्लान के लिये बहुत आवश्यक है, सरकार की सहायता करें। इन परिस्थितियों में आसानी से समझा जा सकता है कि वह एजिटेशन या आन्दोलन जो गलत समझने वाले लोगों ने उन टैक्सों के विरुद्ध कर रखा है, जो प्लान के खर्चे को पूरा करने के लिये लगाये गये, वह हैं कितना नुकसान पहुचाने वाला है। जैसा कि मैंने बयान किया है कि यहां के रहने वालों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये रुपये की जरूरत है। अगर यह रुपया नहीं आता तो उस उद्देश्य को जो हमारे सामने है, धक्का लगता और हमारे भविष्य को नुकसान पहुंचता है। अगर इन लोगों के एजिटेशन या आन्दोलन को सफल होने दिया जाता है तो इसके परिणाम में खुद इन्हीं को नुकसान पहुंचने वाला है। इन टैक्सों का बोझ व्यक्तिगत रूप से थोड़ा है मगर जो रुपया इनसे राज्य को मिलता है, वह इतना है कि विकास के कामों के खर्चे को बहुत मदद पहुंचाता है। जो टैक्स लगाये गए हैं वे इस ओर काफी ध्यान देकर लगाये गये हैं कि उनका बोझ यहां के रहने वालों के किसी हिस्से के लिए भी सहन से बाहर न हो, उनमें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से कुछ ऐसे हैं जिनको वास्तव में टैक्स कहा भी नहीं जा सकता, बल्कि उन चीजों की कीमत कहनी चाहिए जो उनको राज्य की तरफ से दी जाती है। इन चीजों की कीमतें बढ़ाने के बाद भी लोगों को उनके ऊपर कम खर्चा करना पड़ता है। बनिस्बत उनके जिनको ये चीजें सरकार की तरफ से नहीं मिलतीं और जिनको इस लिए उनकी जगह दूसरे इन्तजाम करने पड़ते हैं। मैं उन सब लोगों से अपील करता हूं कि जो इस प्रकार के आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं कि वे इस सवाल को इस नुक्ते निगाह या दृष्टिकोण से देखें और जो थोड़ा सा बोझ उनके ऊपर डाला गया है उसको पूरे राज्य की बेहतरी का खयाल करते हुए खुशी से बरदास्त करें। मैं उन से यह भी अपील करता हूं कि वे ऐसे आंदोलनों को भड़काने वालों की नीति के बारे में ज्यादा गौर से सोचें। अगर वे ऐसा करेंगे तो सम्भव है कि उनको बहुत सी नयी और शिक्षाप्रद बातों का पता चले।

१७—विकास की इस अवधि में एक और बात जो हर एक को अपने सामने रखना चाहिए यह है कि आखिरकार नतीजा यह निकलता है कि किसी देश के विकास की प्रगति का पता बिल्कुल इसी बात से चलता है कि उसके नागरिक विकास के उस बोझ को जो उन पर पड़ता है कितनी खुशी और बिना एतराज के उठाते हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह इस बात का ध्यान रखेगी कि टैक्स का बोझ जहां तक मुमकिन हो कम डाला जाय और लोगों की टैक्स देने की ताकत के अनुसार उन पर टैक्स लगाया जाय। मगर सरकार को यह पता चलेगा कि किसी टैक्स के बोझ से किसी तबके को तकलीफ पहुंच रही है, तो वह उस बोझ को हल्का करने में न हिचकेगी। मिसाल के तौर पर इस समय मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि कुछ छोटे घरेलू उद्योग धंधों को सेल्स टैक्स से मुक्त किया जा सकता है या नहीं। इसी तरह से यदि मौजूदा खर्चा काट कर विकास सम्बन्धी किसी महत्वपूर्ण योजना के लिए हम रुपया बचा सकते हैं तो हम ऐसा हमेशा करेंगे, परन्तु शर्त सिर्फ यह होगी कि खर्चा कम करके कार्य कुशलता का बलिदान न किया जायगा। विभागों में खर्चा कम करने के लिए जो हमने कार्यवाहियां की हैं उनके सम्बन्ध में सदन को सूचित रक्खा गया है। इस ओर हमारी जो कोशिशें रही हैं वे लगातार रहीं और बेमानी नहीं रहीं। सब विभागों में खर्चे की जांच करने और किफायत करने के सुझाव देने के लिए एक विशेष एकानामी कमेटी सरकार ने सन् १९४८ में बिठायी थी। १९४९ में हमने इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर की नियुक्ति की। कुल सरकारी विभागों और संस्थाओं के खर्च की लगातार जांच करने के लिए वित्त विभाग में एक सेक्शन खोला गया, ताकि किफायत करायी जाय, और वित्त सम्बन्धी अनियमित बातों से सरकारी रुपये की जो हानि होती है, उसे रोका जाय। इस वर्ष मुख्य मंत्री ने किफायतशारी सम्बन्धी विशेष आदेश खुद जारी किये और इस सम्बन्ध में विभागों के अध्यक्षों और अन्य लोगों से भी खुद बात-चीत की। इसके फलस्वरूप २ १/२ करोड़ से अधिक रुपये की किफायत हुयी और इस प्रकार बचाये गये रुपये का अधिक भाग विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए मिल सका। इसके अतिरिक्त एक और इकोनामी कमेटी बिठायी गयी है जिस में कुछ मेम्बर विधान मंडल के भी हैं। यह कमेटी सरकारी विभागों के खर्चे को एक बार फिर अच्छी तरह जांच करेगी और यह बतायेगी कि कहां किफायत की जा सकती है।

१८—अब इसके बाद मैं यह चाहता हूं कि कुछ ज्यादा तफसील के साथ उस विकास का चर्चा करूं जिसका पहले हवाला दे चुका हूं ताकि सबके सामने उत्तर प्रदेश के वर्तमान और उसके भविष्य का सच्चा फोटो आये। मैं इसको बयान करने के लिये इस वक्त जुदा-जुदा हिस्सों में बांटता हूं ताकि उनमें से हर एक के बाबत अच्छी तरह हम यह जान सकें कि वह वास्तव में इस प्रदेश के लिये लाभदायक है। उनमें से पहिले मैं सिंचाई विकास को लेता हूं।

आबपाशी (Irrigation)

१९—सन् १९४६ में इस स्टेट के पास १८४७ सरकारी टयूब वेल और १७,८४४ मील चेनल थे। इनसे ६८ लाख एकड़ रकबा सींचा जा सकता था। इसके बजाय आज हमारे पास

८३ लाख ५० हजार एकड़ रकबा सींचने का प्रबन्ध है। हम इस वक्त २,६११ सरकारी नल कूप और २०,१५१ मील चेनलों से आबपाशी कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि सन् १९४६ से लेकर ३१ मार्च, सन् १९५३ तक हमारे यहां ७६४ ट्यूब वेल और २३२७ मील चेनल बढ़े इनके बनाने में ५४४.०१ लाख रुपया खर्च हुआ। आबपाशी बढ़ाने के विशेष निर्माण–कार्य हुये हैं, मसलन नगवा डैम, ललितपुर डैम, सपरार डैम और कबराई डैम। इनसे १ लाख ७५ हजार एकड़ रकबे की सिंचाई हो सकती है। जिन निर्माण–कार्यों पर इस समय काम हो रहा है वे ये हैं:—चन्द्रप्रभा, अहरौरा, माटाटीला और अर्जुन डैम तथा बेलन और टोंस कैनाल प्रोजेक्ट। इनसे ५ लाख एकड़ से ज्यादा रकबे की आबपाशी हो सकेगी। जहां तक गुजरने वाले साल का सम्बन्ध है इसमें सिंचाई सम्बन्धी काम ये हुये हैं:—(१) रंगवा डैम, (२) बान गंगा के नाले तो तैयार हो गये हैं और ५९१ ट्यूब वेल और ४२५ मील चेनल इस साल में मार्च सन् १९५४ तक तैयार हो जायेंगे, जिसकी वजह से ३ लाख एकड़ रकबे की सिंचाई का इन्तजाम बढ़ जायगा। इसके अलावा गन्दे नालों से पानी निकाल कर १ लाख ६६ हजार एकड़ जमीन को खेती के लायक भी बना दिया गया है। बजट वर्ष में जिन सिंचाई सम्बन्धी निर्माण–कार्यों का काम चल रहा है वे और तेजी से चलाये जायेंगे ताकि वे योजना की अवधि में पूरे हो सकें। जून सन् १९५४ तक अर्जुन बांध, जो कि हमीरपुर जिले में २७ हजार एकड़ की सालाना सिंचाई कर सकेगा, पूरा कर के सिंचाई के लिये खोल दिया जायगा। इसके अलावा अहरौरा और चन्द्रप्रभा बांध में, जिनका काम मिर्जापुर और बनारस जिलों में चल रहा है वह पूरा हो जायगा। पश्चिमी जिलों में २७३ नये नलकूप तैयार हो जायेंगे और उनसे सिंचाई शुरू हो जायगी और ८५ नये नल कूपों पर काम शुरू करदिया जायगा। इसके अलावा पश्चिमी जिलों में गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहरों को रिमाडल करने का काम काफी तेजी से किया जायगा।

प्रदेश के दक्खिनी और पूर्वी जिलों में छोटे–छोटे क्षेत्रों के लिये, जहां अक्सर खुश्की से फसलें मारी जाती हैं सिंचाई की छोटी योजनायें बनाई गयी हैं, जिन पर काम हो रहा है। इस प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो सरकारी नल–कूप इस वक्त बन रहे हैं उनको अधिकतर टी०सी०एम० सहायता से बाहर के रहने वाले ठेकेदार बना रहे हैं। उनके मामले केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित हुये हैं।

यह उम्मीद की जाती है कि बजट वर्ष के आखीर तक कुल ८३४ नये नल–कूप हमारे प्रदेश में बन जायेंगे और सिंचाई करने लगेंगे और ४८० मील नई चेनल खोल दी जायगी। इन सब कामों की वजह से करीब ४,६५,००० एकड़ और जमीन में सिंचाई करने का प्रबंध हो जायगा।

नियम यह है कि जितने एकड़ की सिंचाई की जाय उनके १/५ हिस्से के बकदर टनों में पैदावार बढ़ जाती है। इस हिसाब से सन् १९४६ के मुकाबिले में हमारे यहां सिंचाई करने से २१।४ लाख टन या ६३ लाख मन गल्ला ज्यादा पैदा हो सकता है। सन् १९५०–५१ से इस राज्य में सिंचाई का अधिकतर काम पंच–वर्षीय योजना के अनुसार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पंच–वर्षीय योजना में ३१ करोड़ १६ लाख रुपया खर्चे की योजनायें शामिल हैं और इस योजना के समय में पहले से भी ज्यादा तेजी से कार्य हो रहा है।

इन दिनों पूर्वी जिलों में सिंचाई के लिये ट्यूबवेल और बिजली के लिये बिजलीघर बन रहे हैं। देवरिया और मऊ में नये बिजली–घर चालू भी हो गये हैं। जो योजनायें इस वक्त जारी हैं उनके द्वारा पंच–वर्षीय योजना के पूरा होने पर नल–कूपों की संख्या ५०६१ हो जायगी और सिंचाई करने वाली चेनल २२,८०० मील हो जायंगी जिनसे १ करोड़ २ लाख १० हजार एकड़ रकबा सींचा जा सकेगा।

कृषि विकास पशुपालन विभाग

२०—एग्रीकल्चर विभाग यानी जिरात के मुहकमे में कुछ काम ऐसे हैं जो पंच–वर्षीय योजना में शामिल हैं और कुछ उससे बाहर हैं, मगर उन दोनों में कामयाबी हासिल हुयी है।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जो काम हो रहे हैं उनमें से इस वक्त खासतौर पर चर्चा करने के काबिल ये हैं—यू० पी० और राजस्थान की हद पर जंगल लगाया जाना, ताकि यू०पी० के इलाके में रेगिस्तान न घुस आये। ऊसर और टूटी-फूटी जमीनों का ठीक करना, अच्छे बीज का बांटना, पौदों की हिफाजत करना, फसलों की पैदावारों के मुकाबिले कराना, जूट और रुई की पैदावार बढ़ाना है। जंगल लगाने के लिये अगले साल के बजट में १० लाख रु० रक्खे गये हैं क्योंकि Soil conservation का काम बहुत जल्द होना जरूरी है, इसके लिये इसके संबंध में जरूरी विधान भी बनाया जा रहा है। पौदों की हिफाजत की योजना के द्वारा १० हजार एकड़ फस्लों और १ लाख फलदार दरख्तों की मुखतलिफ बीमारियों के संबंध में कार्य किया गया। काश्तकरों ने फस्लों के मुकाबिले की योजना में बहुत दिलचस्पी ली। वहां के धान के बोने का जापानी तरीका २९ जिलों में रायज किया गया और उससे बहुत संतोषजनक या काबिले-इत्मीनान नतीजे निकले, क्योंकि गन्ने की काश्त में उन्नतियां की गयी हैं और कई प्रकार का गन्ना पैदा किया गया है, इसलिये अब उसकी पैदावार, ४६० मन फी एकड़ पहुंच गयी है। बेकार पड़ी हुयी जमीनों को फिर से काम में लाना, जिन जमीनों पर पानी भर जाता है उनके लिये ढाल और नालियां बनवाना, इमारती कुयें, परसियन ह्वील, पंपिंग प्लान्ट और सहायता देकर नल कूप बनवाना ये सब ऐसे काम हैं कि यह विभाग उनको करता रहा है। ये इस साल भी हुये हैं और अगले साल भी होंगे। सन् १९५३ ई० में ३४,००० एकड़ जमीन से कांस साफ की गयी और उसको मिलाकर अब तक जितनी कांस साफ की गयी है उसका रकबा १ लाख एकड़ होता है। अगले साल ६४ हजार एकड़ कांस साफ करने के लिये रुपया रक्खा गया है। सन् १९५२-५३ ई० में ३०० कोआपरेटिव ट्यूब वेल मंजूर हुये थे और जो साल चल रहा है उसमें २०० और अगले साल के लिये फिर ३०० मुकर्रर किये गये हैं। १०० नलकूपों की एक विशेष योजना इस साल स्वीकार की गयी है जिसके लिये रियायती शरह पर सूद लेना स्वीकार किया गया है।

इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि कोआपरेटिव बीज घर से जो बीज मिले वह अच्छा हो और यह निश्चय कर लिया गया है कि अगले दो साल में सौ फीसदी यानी कुल का कुल बीज अव्वल दर्जे का इकट्ठा किया जाय। इस साल में कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये से ५२० ईंटों के भट्टे लगवाये गये हैं ताकि विकास के कामों और गांव के रहने वालों के मकानों के बनाने के लिये ईंट मिले। ऐसे भट्टे सन् १९५५-५६ ई० तक १,००० कर दिये जायेंगे।

पंच-वर्षीय योजना के द्वारा पशुओं के रोगों की रोकथाम और नस्ल बढ़ाने के प्रोग्राम के कामों में बहुत आगे बढ़ा गया। जो बायोलाजिकल लेबोरेटरी लखनऊ में है उसमें जो काम हो रहे हैं वे और बढ़ाये गये और उसमें पशुओं की खतरनाक बीमारियों के रोकने के लिये जैसे रिंडर पेस्ट के लिये ७१ लाख वैक्सीन की खुराक तैयार की गयी। हिन्दुस्तान भर में सब से पहला हमारे यहां एक नया तजुर्बा किया गया है कि खुश्क वैक्सीन बनायी गयी है जिसका बांटना भी आरम्भ हो चुका है, जो रिंडरपेस्ट के लिये पिछले साल ४ जिलों में इस्तेमाल की गयी है और चालू वर्ष में और ८ जिलों में इस्तेमाल की गयी। नीति यह है कि अगले ४ साल में उसका इस्तेमाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दिया जाय।

एक और महत्वपूर्ण योजना जो इसी साल शुरू की गयी है भेड़ों में उन्नति और उनकी पैदावार बढ़ाने की है। यह इस प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में ऋषिकेश के पास आरम्भ की गई। बाग और चरागाह बढ़ाने और साथ ही साथ भेड़ों की नस्ल में उन्नति करने का काम भी किया गया है। देहरादून के पास फालसी में एक नया फार्म भी शुरू किया गया है। चालू वर्ष में फिशरीज की तरक्की के काम में बहुत बढ़ोत्तरी हुयी है। बहुत से तालाब और सिंचाई के रिजर्वायर के विकास का कार्य भी हुआ है। कोई २५ लाख छोटी मछलियां भी इस साल के अन्त तक स्टाक होने वाली हैं। गोपाष्टमी हफ्ता भी मनाना इस साल शुरू किया गया है। जिसमें लोगों ने बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस वक्त उसको हर साल मनाने के लिये सब ओर से बहुत मांग है।

सहकारी विभाग

२१––मैं चाहता था कि इस विभाग की सभी बातें सामने रखूं मगर गुंजाइश न होने के कारण दो–चार मोटी–मोटी बातें बयान करता हूं। जिनसे यह अन्दाजा हो सके कि कितना लाभदायक काम इस विभाग में हो रहा है। इससे पहिले कि मैं यह बातें कहूं इस पर जोर देना चाहता हूं कि इस विभाग का असली काम गांवों में रहने वालों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायता देना है। जो सोसाइटी स्थापित की जाती है उसके लिये पूंजी का प्रबंध होता है, जिससे वह अपने मेम्बरों को ऋण देती है ताकि ऋण लेने वाला अपनी खेती–बाड़ी की आवश्यकताओं में रुपया खर्च करे। जो ऋण दिये जाते रहे उन पर पिछले वर्षों में १२ से लेकर १५ फीसदी तक सूद लिया जाता था। मगर अब इसको घटा कर ९ फीसदी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक लाख से कुछ अधिक गांव हैं। उनमें से इस समय ३०,००० गांवों में सहकारी समितियां स्थापित हैं और उनके द्वारा वह सब कार्य हो रहे हैं, जो होने चाहिए। अब विभाग का प्रोग्राम यह है कि अगले चार वर्षों में जितने गांव बाकी हैं उन सब में समितियां कायम हो जायं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अगले वर्ष में २०,००० समितियां विभाग द्वारा स्थापित करायी जायंगी। जो वर्ष गुजर रहा है उसमें समितियां स्थापित कराने का एक छोटा आन्दोलन किया गया जिससे समितियों को बढ़ाने में सन्तोषजनक सफलता मिली। और कार्य करने के अतिरिक्त यह समितियां बीज गोदाम स्थापित करने, अच्छा बीज बढ़ाने तथा खाद और औजार बांटने का काम कर रही हैं। इस समय समितियों के बनाये हुये बीज गोदाम ९,००० हैं। बीज गोदाम बनाने का कार्य एक योजना द्वारा हो रहा है जिससे अगले वर्षों में हर साल २०० बीज गोदाम बन सकेंगे।

ये समितियां नलकूप भी बनाती हैं जिनके बनाने में सरकार की ओर से भी वित्तीय सहायता दी जाती है। चालू वर्ष में २२५ नलकूप बनाये जा चुके हैं और अगले वर्ष में ३१५ और बनाये जायेंगे।

अगर्चे मैं इसकी चर्चा इस भाषण में किसी और जगह कर चुका हूं मगर यहां पर फिर दोहराता हूं कि सहकारी समितियों से एक योजना के मातहत भट्ठे भी लगवाये जा रहे हैं इनसे एक लाभ तो यह हो रहा है कि विकास के काम और गांव के रहने वालों को ईंटें मिल जाती हैं और दूसरे कम दामों में मिलती हैं, इसलिये इन भट्ठों के लगने से ईंटों के दामों में कमी हो गयी है यानी ३५ रु० हजार से २२ रु० हजार पर आ गयी है। इस प्रकार के अब तक ५१० भट्ठे लग चुके हैं।

इन समितियों ने, जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जड़ी–बूटी और शहद इकट्ठा करने, बेंचने का काम शुरू किया है और आगामी वर्ष में रानीखेत में एक फार्मेसी स्थापित हो जायगी जिसमें जड़ी-बूटियों से दवाइयां तैयार की जायंगी। इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में काफी लोगों को काम मिल जायगा।

सहकारी समितियों द्वारा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मेरठ और हल्द्वानी में काफी सफलता पूर्वक डेरी का काम चल रहा है। इस समय हमारे राज्य में ४५० मन दूध प्रति दिन बांटा जाता है। आगामी वर्ष में अल्मोड़े में एक डेरी खोलने की योजना है।

सहकारी खेती में भी इस वर्ष काफी उन्नति हुयी है और इन समितियों की संख्या ६० से ९३ हो गयी है।

विद्युत-शक्ति का विकास

२२––उत्तर प्रदेश के रहने वालों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये और विशेषकर कृषि और उद्योग–धंधों की उन्नति के लिए राज्य सरकार विद्युत-शक्ति के विकास पर हर वर्ष भारी

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

खर्चा करती चली आ रही है और इस कार्य के लिये बड़े और छोटे बिजली-घर बनाये गये और बनाये जा रहे हैं। चालू वर्ष के आरम्भ के समय इस राज्य में २,०३,८८० किलोवाट बिजली यानी १,२७,१४९ किलोवाट बिजली खुद सरकार द्वारा और बाकी लाइसेंसदारों द्वारा बनायी जाने का प्रबन्ध था। इस वर्ष में, जो चल रहा है, सरकार द्वारा ३,००० किलोवाट बिजली और पैदा की जा रही है अर्थात् शाहजहांपुर में १,८०० किलोवाट, मऊ में ६०० किलोवाट और देवरिया में ६०० किलोवाट। इस तरह तीन बिजली घर नये बन गये हैं। इनके अतिरिक्त काशीपुर से रामनगर तक, खटीमा से टनकपुर तक, सुमेरा से मुरादाबाद तक, शाहजहांपुर से मोहम्मदी तक, ५०० नल-कूपों को चालू करने के लिए ७०० मील लम्बी ट्रांसमिशन लाइन बन गयी और ५०० सब-स्टेशन देहाती क्षेत्रों में तैयार हो गये हैं। रामपुर पावर हाउस में एक ब्वायलर और बढ़ाया गया, लखनऊ और सीतापुर तथा खीरी में ६६ किलोवाट के सब-स्टेशन भी स्थापित हो गये।

आज इस राज्य में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लम्बाई ६,००० मील से ज्यादा है, जिससे २,९०० सरकारी नल-कूपों को, बाकी और लोगों को बिजली मिलती है।

इस बजट में आगामी वर्ष के लिये पथरी और खटीमा के हाइडेल बिजली-घरों को पूरा करने, हरदुआगंज के थरमल स्टेशन को और बढ़ाने, निबकरोरी, सुहावल, गुरसहायगंज, गोरखपुर और मऊ के थरमल स्टेशनों के बनाने के लिये रुपया रखा गया है। इन सब के तैयार हो जाने पर सरकारी प्रबंध से बनायी जाने वाली बिजली ७९,६०० किलोवाट और बढ़ जायेगी और इसमें से ४२,८०० किलोवाट बिजली का प्रबंध आगामी साल में हो चुकेगा। इन तमाम बिजली-घरों के पूरे हो जाने के बाद, जिनकी मैंने यहां पर चर्चा की है, सरकारी प्रबन्ध से कुल २,२४,७४९ किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी। इन बिजली-घरों के अतिरिक्त १,२७५ सरकारी नल-कूपों के लिये ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन बनाने के लिये इस बजट में रुपया रखा गया है, जिसमें सन् १९५२ और सन् १९५३ के प्रोग्राम T. C. M. की सहायता से बनाये जाने वाले नल-कूप भी शामिल हैं और यही नहीं बल्कि पहाड़ी जिलों में हाइडेल बिजली-घर बनाने और गंगा और सारदा हाइडेल क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनें और सब-स्टेशन बनाने के लिये भी रुपया रखा गया है। इस बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अप्रैल, सन् १९५४ से रिहन्द बांध का पूरे उत्साह के साथ काम आरम्भ करने के लिये ४ करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें २ करोड़ २० लाख रुपया T. C. M. सहायता का है और बाकी केन्द्रीय सरकार का।

यह बांध मिर्जापुर के जिले में दुद्धी की ओर एक नदी पर बनेगा जिसका नाम रिहंद है। इस बांध की ऊंचाई २९६ फीट होगी और इसके लिये पानी इकट्ठा करने को १८० वर्गमील का एक जलाशय बनाया जायगा, जिसे अंग्रेज़ी में रिजर्वायर (Reservoir) कहते हैं। इस बांध से सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी और सोन में रिहंद, जिसकी एक सहायक नदी है, स्टीमर और भारी नावें चल सकेंगी तथा उस ओर के क्षेत्रों में बाढ़ का आना बन्द हो जायगा। जब यह बांध बन जायगा तो इस से ८९ करोड़ ५० लाख यूनिट बिजली हर साल बन सकेगी और इसका खर्चा एक यूनिट पर ६ पाई आयेगा। यह पैदा होने वाली बिजली मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर में इस्तेमाल में आयेगी। सरकार इस बांध के बनाये जाने के लिए एक बोर्ड कायम करने वाली है ताकि बांध का काम तेजी के साथ हो सके और इसके बनाने के लिए जो दूसरी सहूलियतें चाहिये वे मिल सकें।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर हाउस का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में सन् १९४७ में लिया था। जो प्लान्ट उस समय मौजूद था उससे १४,४०,००,००० यूनिट बिजली पैदा की जाती थी लेकिन अब उन्हीं मशीनों से वहां के इंजीनियरों की कोशिश से अब २०,००,००,००० यूनिट से भी ज्यादा बिजली तैयार हो रही है।

सितम्बर, सन् १९४७ में कानपुर में कन्ज्यूमर्स की संख्या १४,००० थी जो अब बढ़कर ३०,००० हो गयी है।

सार्वजनिक निर्माण (P. W. D.) और यातायात का विकास

२३—इस प्रदेश में पी० डब्लू० डी० द्वारा हर किस्म की सड़कें और इमारतें बनाने का काम होता है। इस वक्त इस विभाग में जो काम हो रहा है उसमें उन सड़कों में जो पहले से बनी हुयी हैं उन्नति करने के काम के अलावा जितने काम रक्खे गये हैं वे सब पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं। मार्च, सन् १९४७ से मार्च, सन् १९५३ तक ३,००० मील से अधिक पक्की सड़कों का काम हुआ था और इसके अलावा कई हजार मील कच्ची सड़कें भी बनी थीं। पक्की सड़कों में से इस बीच में कोई १,८०० मील सड़कें तारकोल की बनायी गयीं और ५३ मील सीमेंट के ट्रैक बनाये गये हैं। सन् १९५३-५४ में ९० मीलों पर सीमेंट में कंकरीट ट्रैक बन जायेंगे और ३२० मील पक्की सड़क और बनेंगी और ७८ मील सड़क फिर से बनायी जायगी और ६८ मील कच्ची सड़कें बनायी जायंगी। तरह-तरह की ८५ इमारतें भी तैयार की हैं। इसके अलावा कानपुर में इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के पहले दौर का काम खत्म हो चुका है। अगले साल १० करोड़ १९ लाख ७२ हजार ५ सौ रुपया काम करने के लिये बजट में रक्खा गया है। इस वक्त २० पुलों पर काम हो रहा है जिनमें से खास तौर पर बतलाये जाने वालों के नाम यह हैं—

(१) गढ़वाल जिले में कीर्ति नगर में अलखनन्दा पर एक सस्पेंशन ब्रिज।

(२) अल्मोड़ा जिले में घाट में सरजू के ऊपर स्टील गर्डर पुल।

(३) अल्मोड़ा जिले में चल्थी में लढ़िया नाले पर एक पुल।

(४) आगरा जिले में उतंगन पर एक पक्का पुल।

(५) बांदा जिले में बघेन, बखानाला और झुरिया नाले पर एक-एक मेसनरी आर्क पुल।

(६) गोरखपुर में गंडक नदी पर एक पुल।

अगले वर्ष में जिन सड़कों पर काम होने वाला है उनके नाम बजट में दिये हुये हैं। इस काम के अलावा इस विभाग के जरिये मिडिल क्लास के लोगों के लिये भी मकान बनाये जाने वाले हैं जैसे कानपुर, लखनऊ और बरेली में।

अभी तक उत्तर प्रदेश में मकानों की बहुत कमी है जिससे यहां के रहने वालों को तकलीफ है। सरकार जरूरी समझती है कि इस कमी को पूरा करने के लिये कोई मुनासिब इन्तजाम किया जाय। इसलिये सरकार ने यह तय किया है कि इन मकानों के बनाने के सिलसिले में जरूरी खर्चे और उसके मुताल्लिक बातों पर गौर करके मश्विरा देने के लिये एक कमेटी बनाई जाय जो जिस कदर जल्द हो सके रिपोर्ट दे। इस कमेटी के मेम्बरों और जो बातें उनके सिपुर्द की जायंगी उनका एलान सरकार की ओर से अभी थोड़े दिनों में किया जाने वाला है।

परिवहन (TRANSPORT)

२४—यह सब जानते हैं कि परिवहन (Transport) का इस स्टेट में कई साल पहले राष्ट्रीयकरण आरम्भ हो चुका है। इसके मातहत इस वर्ष में जो अब चल रहा है, १४ सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ३१ मार्च, सन् १९५३ तक ५२१९.९ मील राष्ट्रीयकरण में थे जो अब बढ़कर ५३०१.६ मील हो गये। कानूनी पेचीदगियों और मुकदमों की वजह से ऐसा मालूम होता है कि रोडवेज इस साल में गालिबन इन तमाम सड़कों को न ले सके, जिनके बाबत नोटीफिकेशन किया गया था। मुमकिन है इनमें से सिर्फ कुछ लिये जा सकें। इस बजट में ६२ सड़कों के राष्ट्रीयकरण के लिये इन्तजाम रक्खा गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सन् १९५२-५३ से ३९७ लाख मुसाफिरों को सफर की सुविधायें पहुंचा रहा है। जिन सड़कों का लेना आगामी वर्ष में रखा गया है उनके लेने के बाद आराम पाने वालों की संख्या में ३७ लाख की और बढ़ोत्तरी हो जायगी।

पंचवर्षीय योजना में जो और विस्तार रोडवेज का रक्खा गया है उसके हो जाने पर एक हजार आदमी और रोडवेज की मुलाजमतों में आ सकेंगे। जो ६२ सड़कें आगामी साल में ली जायंगी उनसे रोडवेज की आमदनी में ३३ लाख ५२ हजार ६३९ रुपये का इजाफा होगा। मोटर को पेट्रोल से चलाने के मुकाबिले में डिजिल से चलाने में कम खर्च होता है। इस खर्च को घटाने के लिये अगले साल में एक सौ डिजिल बसें खरीदने का प्रबंध रक्खा गया है। चूंकि अस्थायी इमारतों पर ज्यादा खर्च होता है इसलिये सरकार स्थायी बस स्टेशनों और वर्कशापों को बनाने का विचार रखती है।

गवर्नमेंट रोडवेज की सारी योजनायें पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं।

फ्लाइंग क्लब

२५—सरकार यह भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हवा में उड़ना भी सीखें। इसके लिये यहां एक हिन्द प्राविंशियल फ्लाइंग क्लब कायम है जो हवाई जहाज उड़ाना सिखाता है। इससे २८३ आदमी 'ए' लाइसेंस, १५ 'ए-१' और ६२ 'बी' लाइसेंस पा चुके हैं और ७७ ने पाइलट इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस प्राप्त किया है। इन ७७ में से ७३ को शिक्षा पाते समय स्कालरशिप मिले। इस क्लब को केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों से वित्तीय सहायता मिलती है। यह फ्लाइंग रैलियां कराती हैं और राज्य और केन्द्रीय सरकार को जरूरत के समय हवाई यातायात देती हैं। यह क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसने कितने ही अवसरों पर मुकाबिले के इनाम पाये हैं। इसके दो पाइलट बाढ़ में फंसे हुये आदमियों को बचाने के लिये आसाम भेजे गये थे जिन्होंने ४८ आदमियों की जान बचाई।

औद्योगिक विकास (INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

२६—अब हमको यह देखना है कि उत्तर प्रदेश में बड़े और छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में अब तक क्या होता रहा है। राज्य सरकार इस प्रकार के कामों की ओर बराबर ध्यान देती रही है। जहां तक बड़े उद्योगों का ताल्लुक है, उनका अधिकतर वास्ता केन्द्रीय सरकार से है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने इस राज्य में बड़े काम हाथ में लेकर उनको आगे बढ़ाया है। ७०० टन सीमेंट हर रोज बनाने वाली फैक्ट्री मिर्जापुर के जिले में राबर्ट्सगंज के पास चुर्क में स्थापित की गयी है, जिस पर ४१/२ करोड़ रुपया काम समाप्त होने तक खर्च होने वाला है। इससे सीमेंट की मांग पूरा करने में बड़ी सहायता मिलने वाली है। सरकार ने, सूक्ष्म यंत्रों की एक फैक्ट्री (Precision Instrument Factory) लखनऊ में कायम की थी, जिसमें इस वक्त वाटर मीटर बनते हैं। इन मीटरों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने भारत के दूसरे राज्यों को सलाह दी है कि ये मीटर खरीदे जायं। रामगढ़ के फलों को डिब्बों में बन्द करके देर तक बचाये रखने के लिये एक फैक्ट्री कायम की गयी है जिसका काम थोड़े ही दिनों में चालू होने वाला है। आगामी साल में इस फैक्टरी में एक और प्लान्ट लगाया जाने वाला है जिससे सेब का अर्क निकाला जायगा। बड़े उद्योगों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने छोटे और घरेलू धंधों की तरफ जितना ध्यान दिया है उससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की पंच-वर्षीय योजना में इनके लिये जो रुपया रक्खा गया है वह दूसरे राज्यों के मुकाबिले में अधिक है। जिन योजनाओं पर इस समय कार्य हो रहा है वह उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये हैं, जो घरेलू धंधों को कच्चा माल मिलने, उत्पादन के ढंगों, माल की किस्म को भरोसे के काबिल बनाने, पैदावार की कीमतों को बाजार में दूसरी, उसी प्रकार की पैदावार की क़ीमत के मुकाबिले में कम रखने और

बिक्री के प्रदेश के अन्दर और बाहर बढ़ाने में सामने आती हैं। इस सिलसिले में करघा योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जो इस वक्त चालू है। इसके द्वारा बुनकरों को रंगायी घर, औजार और प्लान्ट तथा काम करने के लिए रुपया और माल को बेचने की आसानियां मिलती हैं और इसका अवसर मिलता है कि इस धंधे को सहकारी ढंग से अधिक संगठित किया जा सके। इस योजना के पहले फेज या दर्जे में ५० हजार बुनकरों को लाभ होने वाला है। इसी प्रकार की दूसरी योजनायें भी जैसे रेशम के कीड़े पालना या ऊनी चीजें बनाना, बराबर आगे बढ़ रही हैं। तालों और छुरी, कांटों के घरेलू धंधों को आवश्यक टेक्निकल सहायता देने के लिये कारखाने स्थापित किये गये हैं। क्वालिटी मार्किंग (किस्म छाप) योजना ने बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली उन्नति की है जिसमें अधिकतर ध्यान इस तरफ दिया गया है कि देश से बाहर के बाजार हमारे बनाये हुए माल को पसन्द करें और विशेष कर इसी काम की देखभाल के लिये सरकारी हैन्डीक्राफ्ट में एक डिवीजन भी कायम किया गया है। अब एक ऐसा पाइलेट प्रोजेक्ट भी आरम्भ करने का विचार है जिसके द्वारा एक या चन्द धंधों में पैदा होने वाली कठिन बातों पर विचार किया जा सके, ताकि काम करने के ऐसे ढंग निकाले जायं जो उसी प्रकार के दूसरे धंधों में लागू किये जा सकें।

छोटे और घरेलू धंधों के सामने जो सब से बड़ी कठिनाई रही है, वह रुपया मिलने की है। राज्य सरकार बराबर इन धंधों के लिये रुपया देती रही है। परन्तु अब अगले वर्ष के लिये बजट में रुपया इसलिये रक्खा गया है कि उसके द्वारा एक फाइनेंस कारपोरेशन स्थापित किया जाय जिसकी पूंजी ३ करोड़ रुपया हो और जिससे छोटे और घरेलू धंधों के वास्ते ऋण दिये जायं। इस कारपोरेशन के स्थापित करने के लिये आरम्भ में जो कुछ करना आवश्यक है, वह किया जा रहा है। उद्योग सम्बन्धी शिक्षा में सुविधायें देने के लिए भी सरकार ने प्रबंध किये हैं। घोष समिति की सिफारिशों के आधार पर हारकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है। लखनऊ के आर्ट्स और क्रैफ्ट्स स्कूल में और भी ऐसी बातें जारी की जा रही हैं जिनके द्वारा इस स्कूल से विद्यार्थियों को और अधिक लाभ हो। इस प्रदेश में सरकार के जो टेक्निकल स्कूल हैं उनको और ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक सामान बढ़ाये जा रहे हैं और उनमें से कुछ स्कूलों में सामान्य शिक्षा (General Education) का भी प्रबन्ध किया गया है। इन स्कूलों से हाई स्कूल टेक्निकल और इन्टरमीडियट टेक्निकल के सार्टिफिकेट मिला करेंगे। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त इसका भी प्रबन्ध किया गया है कि सिखाने के क्लासों द्वारा देहाती और शहरी क्षेत्रों में बदलते रहने वाले केंद्रों में २५ प्रकार के पेशों की शिक्षा दी जाय। ये सब काम इसलिए चलाये गये हैं कि प्रदेश के रहने वालों को रोजगार मिल सके और उनकी खरीदने की शक्ति बढ़े।

शक्कर डीहाइड्रेटेड अल्कोहल, तेल, चमड़ा, और ग्लास के धंधों में उत्तर प्रदेश औरों से आगे है। सन् १९४६ में अल्कोहल के ३.४९ लाख एल०पी० गैलन बनते थे जो बढ़कर सन् १९५२ में १०८.६२ लाख एल०पी० गैलन हो गये और शक्कर का उत्पादन सन् १९४७ और सन् १९५२ के बीच ५,५१,००० टन से बढ़ कर ८,३८,००० टन हो गया। एक आटोमेटिक बोतल बनाने वाला प्लान्ट लगाया जा रहा है। जिसके द्वारा ग्लास उद्योग का काम और बढ़ जायगा।

हमारे प्रदेश में बल्ब भी बनते हैं। जिनके बनने की संख्या १,५०० से बढ़कर अब १८,००० प्रति दिन हो गयी है।

पिछले वर्षों के अन्दर दरमियानी उद्योग-धंधे (Medium Scale Industries) भी इस प्रदेश में स्थापित हुए हैं। ये १८ धंधे हैं जैसे लालटेनों का काम, साइकिलों के पुर्जों का काम, टार्च, रबड़ की चीजें, बटन बनाने का काम, कार्बन और कार्ड पेपर, खेलों के सामान, खेती के औजार, शफाखानों के काम की चीजें, प्लास्टिक की चीजें, लकड़ी के पेंच, चिकित्सा

[श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम]

सम्बन्धी बैक्टीरियालाजिकल और पैथालाजिकल ऐपरेटस, बिस्कुट बनाने का काम और पेन्ट और वार्निश बनाने का काम। इस प्रदेश से कितनी ही चीजें बाहर भी भेजी जाती हैं जैसे जूट के थैले, बनस्पति तेल, लाख, फर्रुखाबाद के छापे, ताले और कैंचियां, बनारस के कपड़े, लखनऊ और आगरे के जरदोजी, रुई के पीस गुड्स, शक्कर, ग्लास की चीजें, चाय, खेलों के सामान, पीतल की चीजें, चमड़े की चीजें, गुड़, राब, शीरा, लाल शक्कर, कालीन। यहां इतना और कह देना भी मुनासिब समझता हूं कि उद्योग-धंधों की बनी हुई चीजें उत्तर प्रदेश बाहर ज्यादा भेजता और कम खरीदता है।

चालू वर्ष में जो रुपया उद्योग.धंधों के विभाग में रखा गया था, वह आर्थिक सहायता देने, टेक्निकल शिक्षा और दूसरी योजनाओं के चलाने में खर्च हुआ और जिस प्रकार के कामों की मैं चर्चा कर रहा हूं उन्हीं के लिये आगामी वर्ष में इस बजट के लिये रुपया रखा गया है।

शिक्षा

२७—शिक्षा इंसान के लिये बहुत जरूरी चीज और कल्याणकारी राज्य की जान है। उसको आमतौर से तीन टुकड़ों में बांटा जाता है। (१) प्रारम्भिक, (२) माध्यमिक और (३) वह शिक्षा जो यूनिवर्सिटियों में दी जाती है। इनमें से हर एक प्रकार की शिक्षा की अलग-अलग चर्चा करने की गुंजाइश इस स्पीच में नहीं है और न इसकी कुछ ऐसी आवश्यकता ही है। क्योंकि लोग इसके संबंध में बहुत कुछ जानते भी हैं और इस बजट के पढ़ने से भी और जानकारी प्राप्त हो सकती है, मैं इस वक्त केवल दो एक विशेष बातों की चर्चा करना चहता हूं। इस वक्त मेरे इस संबंध में ज्यादा चर्चा न करने से यह किसी तरह भी न समझना चाहिये कि सरकार शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं समझती। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये इस राज्य में आज लगभग ३३,००० स्कूल मौजूद हैं। इस शिक्षा में जो विस्तार किया गया है इस वक्त उसको पायेदार और मजबूत बनाया जा रहा है। यह महसूस किया गया कि शिक्षा का जो ढांचा इस वक्त है उसको ओवरहाल करने की आवश्यकता है। देहाती स्कूलों से खेती करने वाली आबादी की जरूरत पूरी होती है। इसलिये यह हिदायत जारी की गई है कि हर प्राइमरी स्कूल के लिये पांच एकड़ और हर देहाती जूनियर हाई स्कूल के लिये दस एकड़ भूमि हासिल की जाय ताकि इन जमीनों में खेती का काम कराया जाय, तरकारियों की क्यारियां बनाई जायं और बाग लगाये जायं तथा इन सब कामों को विद्यार्थियों से कराया जाय। इसका उद्देश्य यह है कि विस्तार के बजाय शिक्षा की क्वालिटी पर जोर दिया जाय। इन स्कूलों में यह स्कीम जुलाई सन १९५४ से आरम्भ की जाने वाली है और इसके लिये अधिकतर खर्चा केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है। यह योजना तीन हजार देहाती जूनियर हाई स्कूलों में जारी की जायगी। इसके द्वारा ये स्कूल कम्यूनिटी विकास केन्द्रों की सूरत में बदल जायेंगे जिनमें गांव वालों को मौजूदा जमाने के काश्त करने के तरीके बतलाये जायंगे और उससे उनको अधिक गिजा पैदा करने में मदद मिलेगी। इन स्कूलों में चारों ओर उन्नति करने वाली कम्युनिटी लाइफ फैलेगी और इसके जारी होने पर एक हजार एग्रीकल्चर के ग्रेजुएटों को ट्रेन्ड ग्रेड में और २,००० एफ० ए० पास को उस स्केल में तनख्वाह मिलेगी जो अन्डर-ग्रेजुएट के लिये रखा जायगी। २०० क्राफ्ट मास्टर रखे जायेंगे। इस योजना का खर्चा ४१,३२,००० रु० सालाना, और ३१,००,००० रु० सिर्फ एक बार होने वाला है।

क्योंकि अभी तक उन टीचरों को जो इन प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाते हैं और जिनको सरकार ने खुद कायम करके अक्टूबर सन् १९५० में मय उस खर्चे के जो उन पर होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दे दिया था, अब सरकार ने इन स्कूलों के संबंध में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को उतना रुपया और देना मंजूर किया है जितना कि उन टीचरों को प्राविडेंट फंड देने के लिये चाहिये। ११,००,००० रु० इस चालू वर्ष के अन्दर दिया जा रहा है और साढ़े पांच लाख रुपये अगले वर्ष

में दिये जाने के लिये रखा गया है। इसके अतिरिक्त ३८,००,००० रु० डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को और दिया गया है ताकि वह टीचरों की उन बाकी तनख्वाहों को अदा करें जो अभी तक अदा नहीं हुई हैं।

८३ हाई स्कूलों को बढ़ा कर हायर सेकेंड्री स्कूल किया गया है और काफी तादाद में जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल बनाया गया है। फौजी और सामाजिक शिक्षा को इसलिये मिला दिया गया है कि हर एक आदमी अच्छा नागरिक बन सके। गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नैनीताल और ज्ञानपुर कालेज में पोस्ट-ग्रेजुएट क्लास भी खोल दिये गये हैं।

सरकार ने शिक्षा से संबंधित बातों पर विचार करने और उनमें ऐसी तब्दीलियां कराने के लिये जिससे वह लाभदायक बन जाय और नागरिकों की असली जिन्दगी में काम कर आने के काबिल हो जाय, नरेन्द्रदेव कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है और सरकार के विचाराधीन है।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बहुत नाक़ाबिले इत्मीनान हो गई है। पिछले दो साल में उसको अपना सालाना खर्चा चलाने के लिये गवर्नमेंट से दस लाख रुपया लेना पड़ा। इसलिये उनके मामलों पर विचार करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी। उससे यह मालूम हुआ कि आमदनी से ज्यादा खर्च करके यूनिवर्सिटी बीस लाख रुपये की कर्जदार हो गई। इसलिये इस वक्त सरकार ने इस बजट में एक लाख रुपये की टोकन रकम रखी है ताकि इस रुपये की अदायगी के संबंध में सरकार विचार करके कोई बात निश्चित कर सके।

चिकित्सा (MEDICAL) तथा जन-स्वास्थ्य

२८—आजादी के बाद चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में बराबर तरक्की होती रही। इन कार्यों के लिये बजट में जो रकम नियत की गई वह सन् १९४७ और सन् १९५३ के बीच में २,०९,४९,१०० रु० से बढ़कर ३,८७,६८,५०० रु० हो गई। देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर, जिसकी अब तक कमी थी, सरकार ने विशेष ध्यान दिया। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों प्रकार के नये औषधालय बड़ी तादाद में खोले गये। एलोपैथिक औषधालयों की संख्या ५९ से बढ़कर ३१९ और देशी औषधालयों की २२६ से बढ़कर ५२२ हो गई। जिला अस्पतालों और डफरिन अस्पतालों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया और लगभग ३० लाख रु० अस्पतालों की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च किये गये और इतनी ही रकम उनके लिये आवश्यक साज-सामान खरीदने में खर्च की गई। मेडिकल शिक्षा पर भी उचित ध्यान दिया गया। किंगजार्ज मेडिकल कालेज यानी गांधी मेमोरियल और एसोसिएटेड अस्पताल, लखनऊ के विस्तार पर ५४ लाख रुपये और एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा के विस्तार पर २५ लाख १० हजार रुपये खर्च किये जा रहे हैं। दोनों कालेजों से अब काफी तादाद में मेडिकल ग्रेजुएट पास होकर निकल रहे हैं जो नये अस्पतालों और औषधालयों के लिये डाक्टरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेंगे। लखनऊ में एक डेन्टल कालेज और कान, नाक, अथवा गले के रोगों के पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स चालू किये गये हैं। आगरा में बालकों के रोगों का पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स चालू किया गया है। कोढ़ की चिकित्सा के लिये विशेष उपाय किये गये हैं। तपेदिक के इलाज का काम भी अधिक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, राज्य में इस समय तपेदिक के मरीजों के लिये ८६५ पलंगों (बेडों) का प्रबन्ध है। भुवाली सेनिटोरियम में ऐसे पलंगों (बेडों) की संख्या भी बढ़ा दी गई है जिनके लिये कोई फीस नहीं ली जाती। बी० सी० जी० के टीके का काम ९ टीमें कर रही हैं। मलेरिया से बचने के लिये इस राज्य में एक ऐसी योजना बनाई गई है जो उन क्षेत्रों में लागू की जायगी जहां यह रोग अधिकतर पाया जाता है। पूर्वी जिलों में, जहां कालाजार का रोग सबसे ज्यादा होता है, कालाजार यूनिटें कायम की गई हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करती हैं। कानपुर

[श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम]

के औद्योगिक क्षेत्र में राजकीय कर्मचारी बीमा योजना यानी (Employees State Insurance) के अधीन १३ राजकीय औषधालय स्थापित किये गये हैं।

चालू वर्ष में फिरोजाबाद और खुर्जा के अस्पतालों की नई इमारतें पूरी की गईं और शीघ्र ही ये अस्पताल चालू कर दिये जावेंगे। देवरिया के अस्पताल की नई इमारत करीब-करीब पूरी बन चुकी है। साथ ही बाराबंकी में एक अस्पताल की इमारत बन रही है। इलाहाबाद में एक नये अस्पताल की इमारत बनाने का काम शीघ्र ही शुरू होने वाला है। इस वर्ष अस्पतालों की इमारतों की मरम्मत और रखरखाव पर लगभग ५ लाख रु० और इतनी ही रकम साज-सामान की खरीद के लिये खर्च की गई। देहाती क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में २६ एलोपैथिक और १५ आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं। हू और यूनीसेफ (WHO/UNICEF) की सहायता से २०० जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने, दाइयों तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों यानी (Health visitors) की ट्रेनिंग देने, बच्चों के लिये लखनऊ में एक अस्पताल स्थापित करने और आगरा में पीडियोट्रिक्स यूनिट (Paediatrics unit) स्थापित करने के लिये एक नई योजना चालू की गई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन ५ राष्ट्रीय मलेरिया यूनिटें चालू की गई हैं।

सन् १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की जायंगी उनमें कई निर्माण कार्य विशेषरूप से लखनऊ और आगरा के मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्य शामिल हैं। देहाती क्षेत्रों में २२ नये औषधालय खोलने तथा दवाओं और भोजन पर खर्च करने के लिये ९०,५०० रु० आवर्त्तक (recurring) और ७४,७०० रु० अनावर्त्तक (non-recurring) का प्रबन्ध किया गया है। फिरोजाबाद में शीघ्र ही लगभग १०० पलंगों वाला तपेदिक के इलाज का एक नया अस्पताल खुल जायगा। सीतापुर तथा अलीगढ़ में आंखों के चिकित्सालयों, रामकृष्ण अस्पताल, इलाहाबाद का कमला नेहरू अस्पताल और विभिन्न मिशन अस्पतलों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अधिक अनुदान दिया जा रहा है। अध्यापकों और विद्यार्थियों से जो रकम इकट्ठा की गई है उससे वृन्दावन के बृज सेवा समिति अस्पताल में २५ पलंगों वाला तपेदिक का एक वार्ड खोलने का प्रस्ताव है। अच्छे स्वास्थ्य के लिये बी० सी० जी० आन्दोलन को और आगे बढ़ाने के लिये २ टीमें और बनाई जा रही हैं। विदेशी सहायता से जच्चा-बच्चा कल्याण योजना को भी और आगे बढ़ाया जायगा। इन सब बातों से खर्च सन् १९५३–५४ के ३,८७,६८,५०० रु० से बढ़कर इस वर्ष ३,९५,४३,३०० रु० हो जायगा।

श्रम (Labour)

२९—राज्य सरकार बराबर कोशिश करती रही है कि मालिकों और मजदूरों के बीच न्याय हो और उनके ताल्लुकात ठीक रहें, फिर भी स्ट्राइक, प्ले आफ, तालाबंदियां और कारखाना बन्दियां होती रही हैं, जो कभी कच्चे माल की कमी, कभी बने हुये माल के स्टाक इकट्ठा हो जाने और आर्थिक कठिनाइयों के कारण हुई हैं। परन्तु इसके बावजूद आमतौर से शान्ति रही है क्योंकि औद्योगिक झगड़ों के चुकाने वाली सरकारी मशीनरी तुरन्त कामयाबी के साथ निबटारा करती रही है। इसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रही है कि जो सुविधायें मजदूरों को प्राप्त हुई हैं वे मजबूती से कायम रहें, उनको आराम और तफरीह करने का समय मिले और जिन हालात में वे काम करते हैं उनमें उन्नति हो। संगठित फैक्ट्रियों और दूसरे ऐसे कारखानों में जिन पर मजदूरों के कानून लागू होते हैं, मजदूर उतनी मजदूरी पाते रहें जितनी कि कानून ने मुकर्रर कर दी है और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी बारह जिलों में, जहां मजदूरी कम थी, कानून के अनुसार मजदूरी दिलायी गयी। जिन मिलों में अभी उतनी मजदूरी नहीं मिल रही है, जितनी कि मिलनी चाहिये, आगामी साल में दो-साला प्रोग्राम के अनुसार उतनी मजदूरी दिलायी जाने वाली है। पिछले सालों में एक हिम्मत बढ़ाने वाली बात यह रही है

कि सरकारी मशीनरी, मिल–मालिक और मजदूर उभरने वाले झगड़ों और विशेष कर उन झगड़ों को, जो चीनी मिलों में बोनस के बाबत पैदा हुये, आपस में मिलकर चुकाते रहे। सरकार कपड़े और चीनी के मिलों के हालात का अध्ययन या मुताला इस उद्देश्य से कर रही है कि उनमें स्टैन्डर्डाइजेशन (प्रमाणीकरण) और रेशनलाइजेशन (अभिनवीकरण) हो जाय, मगर साथ ही यह भी चाहती है कि सरकार, मिल-मालिक और मजदूरों के आपसी समझौते से ऐसा हो।

कुछ दिनों से इस ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि मिल-मजदूरों के लिये ज्यादा मकान बनाये जायं। इस प्रदेश की ३४ चीनी मिलों में जो ६०० क्वार्टर शुगर हाउसिंग फंड से बनाये जा रहे थे उनका काम अब करीब-करीब पूरा हो गया है और इस समय भंगियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये स्वास्थ्यदायक घर बनाने का कार्य भी हो रहा है। इसके अनुसार ६,५०० घर औद्योगिक मजदूरों के लिये कानपुर और लखनऊ में और २,१५० घर भंगियों के लिये बनाने तय किये गये हैं। इस योजना की कामयाब तरक्की हो रही है, २,१०० घर तक बन चुके और कानपुर में आबाद हो चुके हैं तथा ५६० घर लखनऊ में तैयारी के करीब हैं। केन्द्रीय सरकार से मजदूरों के घरों के लिये आर्थिक सहायता मिलने वाली योजना के अनुसार आगामी वर्ष के लिये इस बजट में २ करोड़ रुपये रक्खे गये हैं ताकि उनसे ७,४०० घर अगले साल में महत्वपूर्ण औद्योगिक (Industrial) केन्द्रों पर बनाये जा सकें। इस योजना और 'स्लम क्लियरेन्स' योजना को एक कर दिया गया है।

हरिजन सहायक

३०—उत्तर प्रदेश में हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के ऊंचा उठाने का काम भी सन् १९४६ से बराबर चल रहा है और हर साल आगे बढ़ता रहा है। जो विभाग इसको कर रहा है वही जरायम पेशा कबीलों के सुधार का भी काम करता है। इस काम के लिये एक बोर्ड कायम है, जो हरिजन सहायक बोर्ड कहलाता है। इस विभाग में शिक्षा देने, आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने और रहन–सहन की हालत को बढ़ाने के काम किये जाते हैं। जहां तक शिक्षा की उन्नति का संबंध है, उसका अन्दाजा इससे हो सकता है कि सन् १९४६–४७ में इस काम पर ६ लाख रुपया खर्च किया गया था और चालू वर्ष में इसका खर्चा ३५ लाख रुपया सालाना पर पहुंचने वाला है, गोया सन् १९४६ के मुकाबिले में यह खर्चा छः गुना हो गया है। सन् १९४७ में स्कूलों व कालेजों और यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों की संख्या २ लाख से कम थी। मगर अब चालू वर्ष में यह संख्या पांच लाख को पहुंच गयी है। और सन् १९४७ में डिग्री और पोस्ट–ग्रैजुएट क्लासों में हरिजनों की संख्या १०० थी। जो अब चालू वर्ष में दो हजार हुई जा रही है। राज्य सरकार मिर्जापुर जिले की दुद्धी और राबर्ट्सगंज तहसीलों में रहने वाले एबारिजिनीज के शिक्षा देने का भी इन्तजाम कर चुकी है और २० हजार रुपये सालाना उनकी शिक्षा पर भी व्यय हो रहा है।

जहां तक आर्थिक स्थिति के सुधारने का संबंध है, सरकार उन विद्यार्थियों को जो टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं आर्थिक सहायता देती है। उनको इस शिक्षा और उसके बाद छोटे उद्योग–धंधों में लगाने के लिये भी आर्थिक सहायता देती है। सरकार ने इस कार्य के लिये अपने स्कूल खोल रखे हैं और बख्शी के तालाब पर एक बड़ा केन्द्र बना रखा है जिसमें बिजली के मिस्त्री, टर्नर, सांचे ढालने वाले फिटर्स, दर्जी का काम करने वाले, मोटरों के मिस्त्री और बढ़ई का काम करने वालों के लिये २४० आदमियों को काम सिखाया जाता है और सन् १९५२–५३ से काम सीखे हुये हरिजनों को छोटे उद्योग-धंधों में लगाने के लिये आर्थिक सहायता, औजार और मशीनें दी जाती हैं। इस काम की सहायता पर व्यय करने के लिये चालू वर्ष में ५०,००० रुपया बजट में रखा गया था और अभी थोड़े दिन हुये कि सरकार ने सरकारी नौकरियों में जगह पाने के लिये दस प्रतिशत से १८ प्रतिशत मुकर्रर कर दिया है। सरकार ने ऐसे हरिजनों को जिनके पास जमीनें नहीं थीं खेतों के लिये भी जमीनें दी हैं और उनके बसाने का भी प्रबन्ध किया है। इस वर्ष में उनकी माडेल कालोनीज (यानी आदर्श बस्तियां) स्थापित करने की

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

योजना भी शुरू कर दी है। हरिजनों को मकान और कुयें बनाने और मरम्मतें करने की आर्थिक सहायता दी जा रही है। और जिनके घर आग या बहिया वगैरह से बरबाद हो जाते हैं उनको माली इमदाद दी जाती है, जो हर वर्ष बढ़ती रहती है। इस काम पर व्यय होने के लिये इस गुजरने वाले वर्ष में पांच लाख, सत्तर हजार रुपया रखा गया और हरिजनों के खिलाफ जो छूतछात और जात-जमात के ख्यालात पहले से चले आ रहे थे उनके दूर करने के लिये भी प्रचार हो रहा है।

जहां तक उन लोगों का संबंध है जिनको पहले जरायम पेशा कहा जाता था उनके सुधार का प्रबन्ध भी चालू कर रखा है और उनके ४,५७५ आदमी पांच बस्तियों में मुख्तलिफ जगहों पर बसा दिये गये हैं और उनको नौकरियां दिलवाने के अतिरिक्त ३,८८७ बीघे जमीन खेती करने के लिये भी दी गई है।

ऊपर जो बातें कही गई हैं उनमें पिछड़ी हुई जातियां जैसे अन्सारी वगैरह भी शामिल हैं।

सहायता तथा पुनर्वास (RELIEF AND REHABILITATION)

३१—मुल्क के बटवारे के कारण इस राज्य में जो लोग बेघर और बे सामान आये, उनको फिर बसाने का काम आसान नहीं है। सरकार ने उन को बसाने के लिये सब प्रबन्ध किये। उनके लिये छोटे धंधों का इन्तजाम किया। १३,५०० शरणार्थी ट्रेनिंग पाकर कारबार में लग चुके। जिन्होंने अपना कारबार करना चाहा, उनको आर्थिक सहायता दी। १ करोड़ ७३ लाख ७२ हजार ६२२ रु० की सहायता ऋण के रूप में २२,७८० आदमियों को दी गयी। जो लोग खेती करना चाहते थे, उनको ४५ लाख ३४ हजार रु० इसी तरह दिया गया। जिनको यह रुपया दिया गया उसकी संख्या ५,२७६ थी।

शरणार्थियों के बच्चों को १५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो ४२ हजार शरणार्थी विद्यार्थियों को मिल रही है। चालू वर्ष में शरणार्थियों की शिक्षा के संबंध में ३५ लाख से कुछ ज्यादा रुपया लग जायगा। शरणार्थियों के लिये मथुरा और मेरठ में ऐसे इन्स्टीट्यूशन भी कायम किये गये जहां दस्तकारी भी सिखाया जाती है। एक इन्स्टीट्यूशन का नाम बापू वोकेशनल इन्स्टीट्यूशन, देहरादून है। यह केवल औरतों के लिये है। एक और चिल्ड्रेन नेशनल इन्स्टीट्यूट इलाहाबाद है। यह लावारिस बच्चों की देखभाल और परवरिश करता है। करजे के अलावा शरणार्थियों को ग्रांट भी दी गई। चुनान्चे ३,५०० शरणार्थियों को ग्रांट मिल रही है। चालू साल के खत्म तक शरणार्थियों के रिलीफ पर १ करोड़ ४० लाख रुपया खर्च होने वाला है।

इस राज्य ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की भी जिम्मेदारी ली। कोई ७०० कुनबे नैनीताल तराई में पटसन की काश्त में लगाये जा चुके हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाली औरतों और बच्चों के लिये चुनार और बनारस में अलहदा होम बनाये जिनमें १,१५३ औरतें और बच्चे परवरिश पा रहे हैं। जिन्हें दस्तकारी भी सिखायी जा रही है। कश्मीर के शरणार्थी भी इस राज्य में आये हुये हैं। उनके बहुत से कुनबे हस्तिनापुर में बसाये गये और हर कुनबे को माली इमदाद भी दी जा रही है। जहां तक मकानों और दुकानों का ताल्लुक है अलावा और मकानों के जो अब तक बन चुके हैं १२,४०० मकान और ५,२०० दुकानें इस साल के आखिर तक तैयार हो जायेंगे। ३,२०० मकान और २,३५० दूकानें बन गयी हैं। गोविन्दपुरी और हस्तिनापुर मेरठ में, प्रेमनगर और नैनी इलाहाबाद में, विशेषकर शरणार्थियों के लिये कालोनी बसायी गयी है। मकान बनाने के सिलसिले में इस समय सरकार १ करोड़ ८० लाख रुपया करजे के तौर पर दे चुकी है। पंचवर्षीय योजना द्वारा जो काम शरणार्थियों के लिये हो रहे हैं, उन से १५,००० शरणार्थी टेक्निकल कामों में ट्रेनिंग पा लेंगे।

खाद्य तथा रसद विभाग

३२—पैदावार बढ़ जाने के कारण सरकार ने धीरे-धीरे राशनिंग हटाना शुरू किया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि कम पैदावार वाले क्षेत्रों के रहने वालों को इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना न उठाना पड़े। सन् १९५३ के अन्त तक ६२ नगरों से राशनिंग उठा ली गयी, लेकिन पहाड़ी जिलों और उन पूर्वीय जिलों में जहां कम पैदावार होती है और जहां के बाजारों में काफी अनाज नहीं मिल रहा था, वहां गल्ला भेजा गया। ऐसी जगहों की कुल आबादी ७० लाख है।

बोतने वाले वर्ष में कपड़ा भी ज्यादा बना और सूत भी। इसलिये इनके संबंध में भी नियंत्रण ढीला कर दिया गया। केवल १५ प्रतिशत उत्पादन पर कंट्रोल रख कर बाकी ८५ प्रतिशत माल को बेचने की मिलों को इजाजत दे दी गयी और जून सन् १९५३ में कपड़े और सूत पर से यह कंट्रोल भी उठा लिया गया। करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के विचार से धोतियों के उत्पादन के संबंध में भारत सरकार ने मिलों पर जो नियंत्रण लगाया है उसके नतीजे का इन्तजार है।

माल (Revenue)

३३—उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों विशेषकर देवरिया, गोरखपुर और बस्ती में बहुत अधिक बारिश होने और ओले गिरने के कारण फसलें तबाह हुईं। वहां के रहने वालों की स्थिति बहुत कमजोर हुई। इस मुसीबत के समय में राज्य सरकार ने उनकी कई प्रकार की सहायता देने पर ८५ लाख रु० से अधिक व्यय किया।

इस विभाग में और बहुत से कामों के अतिरिक्त एक विशेष काम जमींदारों के मुआवजे के संबंध में हो रहा है। मुआवजे की सूचियां बनाने का काम काफी हो चुका है। ७५ लाख ६६ हजार ४३९ सूचियों में से ६४ लाख ७ हजार २२१ सूचियां जारी हो चुकी हैं। ये सूचियां इतनी ठीक तैयार हुई हैं कि इनके विरुद्ध कुल २३,६२४ उज्रदारियां हुईं। आरजी मुआविजे की कुल १ लाख ८३ हजार ३६८ दरख्वास्तों में से १ लाख ६६ हजार ८८४ दरख्वास्तों पर कार्यवाही हो चुकी है और ३ करोड़ २८ लाख ९ हजार ५१७ रु० मुआविजे में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त खैराती और मजहबी ट्रस्टों या वक्फों को भी १४ लाख १८ हजार ५४९ रु० की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। जहां तक जमींदारों को मुआवजे के बांड दिये जाने का ताल्लुक है आशा की जाती है कि अगले साल के आखिर तक दिये जा चुकेंगे। रेवेन्यू विभाग एक और लाभदायक काम यह कर रहा है कि गांवों में मजरुआ रकबे की चकबन्दी करायी जाय। इसके लिये एक योजना बनाई गई है जिसका कार्य अगले वर्ष में आरम्भ होने वाला है। इसके संबंध में अधिनियम बनाया गया था उसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। इस बजट में व्यय करने के लिये लगभग ४८ लाख रु० रखा गया है जिससे कम से कम २० जिलों में चकबन्दी का काम आरम्भ किया जा सकेगा। सन् १९५३ में सरकार ने एक बाढ़ समिति बिठाई थी। उसकी सिफारिशें तो अभी सरकार के विचाराधीन हैं परन्तु फिर भी उनमें से अधिक आवश्यक कार्यों को करना शुरू कर दिया गया है, जैसे बाढ़ के लिये किश्तियां। इनके लिये १ लाख रु० इस बजट में मौजूद है और ५ लाख रु० इसलिये रखा गया है कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है उनकी सर्वे की जाय और पेड़ लगाये जायं। जहां रेवेन्यू विभाग की ओर से बाढ़ संबंधी ये काम हो रहे हैं वहां दूसरी एक बाढ़ संबंधी योजना के द्वारा सिंचाई विभाग ने भी तहकीकात का काम शुरू कर दिया है।

वन विभाग

३४—यह विभाग एक ऐसा विभाग है जो इस प्रदेश की आवश्यक सेवा करता है। पिछली लड़ाई के दिनों में उत्तर प्रदेश के जंगलात बहुत कटे और इसके बाद जमींदारी के विनाश

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

से पहिले कटे। जंगलात से जमीन की बहुत हिफाजत होती है। इनके कटने से राज्य को हानि पहुंचे। यह विभाग अपनी योजनाओं द्वारा फिर जंगलात लगा रहा है और इस ध्यान के साथ लगा रहा है कि उनके कटने से जमीन के लिये जो हानि का खतरा हो गया है, वह भी न रहे। इस साल में इस विभाग ने ७,४७१ एकड़ जमीन पर और २२८ मील लम्बी सड़कों के किनारे पेड़ लगाये। इसके अतिरिक्त खेलों के सामानों के लिये जो लकड़ी चाहिये उसके लिये भी शहतूत वगैरह के पेड़ २,५०० एकड़ जमीन पर लगाये हैं।

पुलिस

३५—पुलिस के फर्ज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। समाज का कायम रहना और उन्नति करना बड़ी सीमा तक पुलिस पर निर्भर है। पुलिस अमन तथा शांति की रक्षा करती है। इस रक्षा के बिना कोई काम हो नहीं सकता। हर विकास और उन्नति की पहली शर्त यह है कि शांति हो ताकि लोग और फिरकों के वह काम कर सकें जो उन्हें अपनी और समाज की भलाई के लिये करना चाहिये। यदि यह बात सच है तो पुलिस के खर्च को भी मकोमी खर्च समझना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा उन्नति और विकास के लिये वातावरण बनता है, जिसके बगैर कुछ हो नहीं सकता।

पिछले दिनों इस राज्य में कुछ डकैतियों और कुछ दूसरे अपराधों के ज्यादा होने की शिकायत रही है। इस कारण सरकार ने गावों में डकैती सोसाइटियां कायम की जो विशेषकर डकैतियों के बन्द करने में पुलिस को बहुत लाभदायक सहायता कर रही है। पुलिस ने तारीफ के काबिल खोज लगाने का काम करके बड़े बदनाम (notorious) डकैतों के गिरोहों को खत्म किया है। चरना, महाबीर और मेंहदी के गिरोह आज नहीं रहे। मानसिंह के गिरोह के विरुद्ध पुलिस की जोरदार कोशिशें जारी हैं और दूसरे प्रकार के अपराधों में भी पहले से अब कमी है।

सरकार अपनी पुलिस के अख्तियारों और उसके इलाके में राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों को जो अभी तक रेवेन्यू पुलिस के चार्ज में रहे हैं, शामिल करती जा रही है। ये अब तक रेवेन्यू पुलिस के चार्ज में थे। इस सिलसिले में टनकपुर-पिथौरागढ़ सड़क रेवेन्यू पुलिस के पास से निकल कर रेगुलर (regular) पुलिस के पास चली गयी है। अपराध की तहकीकात में और उन्नतियां करने के लिये पुलिस विभाग में साइंटिफिक सेक्शन द्वारा व्यय किया गया है। इन दिनों सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि पुलिस के लिये यह जरूरी है कि उसको अपराधों और कानून तोड़ने वालों की तैयारियों का हाल ठीक तौर पर मालूम होता रहे। इसकी तरफ मुनासिब कदम उठाया जायगा।

जेल (JAILS)

३६—गुजरने वाले वित्तीय वर्ष में कैदियों से जनता के फायदे के काम लेने का सिलसिला जारी रहा और आगामी वर्ष में भी जारी रहेगा। जिस योजना के मातहत यह कार्य हो रहा है वह यह है—

सितम्बर, सन् १९५२ में जिला बनारस के अन्दर चकिया में कैदियों का एक कैम्प खोला गया और उनको एक डैम के बनाने में लगाया गया, जिसको चन्द्रप्रभा नदी पर सिंचाई विभाग बना रहा था। अक्टूबर, सन् १९५३ में यह कैम्प उसी जिले में काम करने के लिये नवगढ़ भेज दिया गया, जहां कर्मनाशा नदी पर एक दूसरा डैम बन रहा है। कैम्प में जो कैदी काम करते हैं, उनको मजदूरी इस तरह दी जाती है कि उसका एक हिस्सा उनके खर्च के लिये काट कर बाकी रकम उनके हिसाब में जमा करदी जाती है, जो उनको छूटने पर मिलती है। यह योजना बहुत कामयाब हुई। आशा की जाती है कि इसी चालू वर्ष के अन्दर नवगढ़ ही पर

३,००० कैदी काम करेंगे और आइन्दा साल भी करते रहेंगे। कैदी इस काम को बड़ी दिलचस्पी और फख्र के साथ करते हैं। इस काम ने उनका दृष्टिकोण बदल दिया है और उनको बेहतर खुराक मिलती है, छूट पहले से ज्यादा मिलती है, मुलाकातें भी पहले से ज्यादा होती हैं और उनकी शिक्षा और तफरीह के लिये भी बन्दोबस्त किया गया है। इस योजना का मकसद यह है कि कैदी कैद का समय काटने के दरमियान भी अपना बोझ आप उठाने वाला हो, ताकि वह समाज का एक मेहनती, ईमानदार और फायदेमन्द मेम्बर बन जाय। इस योजना का खास फायदा यह भी है कि इसके द्वारा एक अपराधी का सुधार हो जाता है। मामूली तौर पर रहने से उसके अन्दर अपने ऊपर भरोसा करने और अपनी इज्जत आप करने की आदत पैदा हो जाती है। जिससे उसकी दिमागी हालत में तब्दीली पैदा हो जाना आसान हो जाता है।

न्याय प्रशासन

३७—मैं चाहता हूं कि इस वक्त इस प्रदेश के न्याय विभाग के बारे में भी कुछ कहूं। हमारे हाई कोर्ट और खुद राज्य सरकार का इस तरफ काफी ध्यान रहा कि हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में मुकद्दमे, जहां तक हो सकें, जल्द से जल्द तय हों। मैं इस वक्त इस बहस में जाना नहीं चाहता कि जो देर इनके तय होने में होती है उसका कारण क्या है। इसलिये कि उनको समझ कर देर न होने के लिये सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं, कारणों के बता देने से उनका बता देना ज्यादा आवश्यक मालूम होता है।

सरकार ने एक तरफ मुंसिफों और उनसे ऊंचे अफसरों की संख्या बढ़ाई। सन् १९४९ में १५ मुंसिफ बढ़ाये गये और सिविल और सेशन जजों तथा डिस्ट्रिक्ट जजों की संख्या ४५ से ८२ की गई। सन् १९५१ में डिस्ट्रिक्ट जज ३० से ३७ तथा सिविल और सेशन जज १५ से ४५ किये गये जिनमें ५ लीव रिजर्व (यानी छुट्टी पर जाने वालों की जगह काम करने के लिये) भी सम्मिलित थे। सन् १९५२–५३ में सिविल और सेशन जजों की २२ अदालतें मुस्तकिल की गईं। तामीलें करने वाले चपरासियों और मुख्तलिफ अदालतों के नकल करने वाले सीगों के काम करने की काबिलियत को और बढ़ाने के लिये भी उपाय किये गये।

सरकार ने इस उद्देश्य से कि इस बात के जानने में सहायता मिले कि मुकद्दमों को जल्दी से जल्दी तय कराने के लिये किन-किन बातों की आवश्यकता है, वान्चू कमेटी बिठाई। इस कमेटी ने बड़ी काबिलियत से काम करके मशिवरा दिया कि इस संबंध में क्या क्या होना चाहिये। सरकार ने इस कमेटी की सब सिफारिशों पर विचार करके उनमें से बहुत सी सिफारिशों पर अमलदरामद करा दिया।

इसकी शिकायत रही है कि अदालतों को इमारतों की कमी है और कितनी ही इमारतें बहुत पुरानी हैं और अच्छी हालत में नहीं हैं। इस संबंध में जितना होना चाहिये था और जितना सरकार करना चाहती थी उतना अभी नहीं हो सका, इसलिये कि विकास के कामों के लिये रुपये की बहुत जरूरत है, परन्तु फिर भी सरकार ने कुछ इमारतें बनवाई हैं और कुछ इमारतों की मरम्मतें भी कराई हैं। सन् १९५४–५५ में रानीखेत में मुंसिफ की अदालत, पौड़ी में सेशन हाउस, मेरठ में अदालत के लिये चार कमरे और बहराइच में जो इमारत इस वक्त मौजूद है उसमें बढ़ोत्तरी और बदलाव करने के लिये बजट में ३,२१,००० रु० रखे हैं।

इससे पहिले कि मैं और दूसरी बात शुरू करूं इतना और बता देना चाहता हूं कि कुछ पहाड़ी इलाकों में जैसे कुमायूं डिवीजन में और देहरादून और मिर्जापुर जिला के कुछ हिस्से में दीवानी का काम करने के लिये अलग अलग दीवानी अदालतें नहीं थीं। इसलिये सरकार ने इस उद्देश्य से कि दीवानी का काम दीवानी ही के जानकारों से कराना चाहिये, ऐसी जगहों के लिये दीवानी के काम करने के लिये अलग इन्तजाम कर दिया है।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

३८---सरकार का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग जो कार्य करता है वह जनतंत्र में बड़ी आवश्यक जगह रखता है। इस विभाग का संबंध शहर और गांव दोनों में रहने वालों से है। यह पंचायतों डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, म्युनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाओं और नोटीफाइड एरियाओं के कामों की देखभाल करता है और उनको ऐसी हिदायतें देता है जिनके अनुसार उनको जनता के फायदे के लिये कार्य करना आवश्यक होता है। इस राज्य में कई साल से पंचायतें स्थापित हैं। ये पंचायतें गांव में रहने वालों के प्रतिनिधियों से बनी हैं जो पंचायत राज अधिनियम के अनुसार अपने कर्त्तव्य अपने-अपने क्षेत्रों में अंजाम देती हैं। गांवों में और कामों के अलावा उनके बाहर और भीतर के रास्तों को ठीक रखना, जमीनों का बांटना, रोशनी का इन्तजाम करना, तन्दुरुस्ती के लिये जो बातें आवश्यक हैं उनको कराना, उनके कर्त्तव्यों में सम्मिलित हैं क्योंकि इन कामों को करने के लिये खर्चे की भी आवश्यकता होती है। इसलिये उनको कर लगाने का भी अधिकार कानून द्वारा मिला है। गालिबन यह बतौर एक सच्ची बात के कहा जा सकता है कि यह सिस्टम केवल भारत ही में नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया में अपनी आप मिसाल है। पंचायतों के क्षेत्रों में ज्यादातर वे लोग रहते हैं जो अभी पढ़े लिखे भी नहीं हैं। मगर यह देखा गया है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आशा से अधिक समझदार और देश दोस्त हैं। जो कर्त्तव्य उनके जिम्मे लगाये गये हैं इस बात को देखते हुये कि वह तालीम-याफ्ता नहीं हैं यह कहा जा सकता है कि वे इन कामों को अच्छी तौर पर अंजाम दे रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कमजोरियां और कमियां नहीं हैं और होनी जरूरी भी थीं इसलिये कि पहला तजुरबा है इनके शिक्षा न पाये हुये होने की सूरत में उनसे यह आशा की जा सकती थी कि वह उन कामों को जो उनके सुपुर्द किये गये हैं इस तरह अंजाम दें जैसे कि शहरों में रहने वाले बड़े बड़े तालीम याफ्ता। राज्य सरकार ने उनको अधिकार इसलिये दिये कि कोई पढ़ा लिखा हो या बे पढ़ा लिखा उसको जब तक अधिकार नहीं मिलते उस वक्त तक उसके उन्हें ठीक तौर पर काम में लाने की काबिलियत पैदा नहीं होती। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें किसी एक केन्द्र से तमाम वह काम जो गांव के लिये जरूरी हैं पूरे नहीं किये जा सकते। इसलिये जरूरी था कि एक मुद्दत तक इन्तजार किये बगैर उनको प्रारम्भिक अधिकार दिये जायं। अधिकार ऐसी चीज है कि जो अपने काम में लाये जाने की काबिलियत उस व्यक्ति में जिसको वह मिले बहुत कुछ खुद पैदा करती है। सब कुछ इन पंचायतों के विरुद्ध कहे जाने के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि पंचायतों ने काम अच्छा नहीं किया। उनके क्षेत्रों में पंचायती अदालतें भी हैं जिन को झगड़े और मुकद्दमे तय करने के अधिकार दिये गये हैं। इन अदालतों के बारे में भी बहुत सी बातें सुनी गईं। परन्तु ठीक बात यह मालूम होती है कि गलतियां करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। यह पंचायतें और पंचायती अदालतें जो कुछ आजकल कर रही हैं आगे चलकर इससे बेहतर और अधिक आगे जा कर इससे भी बेहतर करेंगी। तजुरबा आदमी को सिखाता है और उसमें काबिलियतें पैदा करता है। इस प्रदेश में गांव पंचायतों की संख्या ३६,१३९ और अदालती पंचायतों की संख्या ८,५४३ है। जिस अधिनियम के अधीन वह बनी हैं तजुर्बे से उसमें कुछ कमियां महसूस की गई हैं। इसलिये इसमें आवश्यक संशोधन करने के लिये एक विधेयक बनाया गया है जो इस सदन के सामने थोड़े दिनों में आने वाला है।

पंचायतों के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी हैं। इनके संबंध में एक सवाल यह पैदा हो गया है कि उनका ढांचा वही रहे जो अब तक था या उसमें कोई तब्दीली हो जो काम उनके सुपुर्द हैं उनमें से आगे चलकर कौन से उनके पास रहें और कौन से न रहें, उनके खर्चों को चलाने का प्रबन्ध क्या हो क्योंकि उनकी जो कुछ आमदनी है वह उनके कामों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती। यह भी सवाल है कि आगे चलकर उनका चुनाव क्योंकर हो, ऐसे ही जैसे कि अब तक होता आया है या किसी और तरह। और गांव पंचायतों से इनका संबंध हो, तो किस प्रकार का। इन सब बातों को सामने रखते हुये कैबिनेट की एक सब-कमेटी इन पर

विचार कर रही है और यह आशा है कि निकट भविष्य में इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन करने के लिये एक विधेयक सदन के सामने लाया जायगा।

म्युनिसिपैलिटियों में से कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ में [जिन्हें कबाल (Kabal) टाउन कहा जाता है] म्युनिसिपैटिलियों के बजाय कारपोरेशन स्थापित किये जायेंगे जिनके लिये ऐडमिनिस्ट्रेटरों के जरिये से जरूरी तैयारियां कराई जा रही हैं और एक विधेयक भी बनाया जा रहा है। यह भी कुछ दिनों बाद सदन के सामने आने वाला है। म्युनिसिपैलिटियों में इस वक्त जिन चीजों की ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है वह टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज, वाटर वर्क्स और सड़कों की दुरुस्ती हैं। इनके अतिरिक्त और भी आवश्यकतायें हैं। मगर आबोहवा के ठीक रखने और बस्तियों को स्वास्थ्यदायक बनाने के लिए उनकी ओर पहिले ध्यान देना आवश्यक है। इसलिये राज्य सरकार ने वाटर वर्क्स की एक पंच-वर्षीय योजना बनाई है जिसको अखिल भारतीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कराने के लिये भारत सरकार को लिखा गया है। सरकार चाहती है कि जितना जल्द से जल्द यह कार्य किया जा सकता है हो जाय। सरकार के पास टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और वाटर वर्क्स की योजनायें बनाने का भी प्रबन्ध है। सरकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसर इन योजनाओं को म्युनिसिपैलिटियों के लिये बनाते हैं।

चालू वर्ष में टाउन प्लानिंग विभाग ने ४१५ योजनायें मुख्तलिफ किस्म की बनायी हैं जिनमें कुछ बस्तियों के लिये मास्टर प्लान, कुछ हाउसिंग यानी मकान बनाने की स्कीमें हैं, कुछ सड़कों को दुरुस्त करने के लिये हैं, कुछ दूकानों के लिये क्षेत्र मखसूस कर देने के लिये हैं और कुछ कई प्रकार के इमारतों के आर्कीटेक्चरल डिजाइन तैयार करने के लिये हैं। इन सब योजनाओं की कुल संख्या ६५९ है। अगले वर्ष में यह विभाग ३०० योजनायें और बनाने वाला है। यह सब काम इसलिये किये जा रहे हैं कि गांवों और शहरों में विकास साइन्टिफिक, सेनिटरी और आर्टिस्टिक तरीकों पर हो, ताकि रहने वालों को बेहतर जिन्दगी बसर करने का अवसर मिले।

हाल में सरकार ने म्युनिसिपैलिटियों में मेहतरों की हालत में भी सुधार करने की तरफ ध्यान देकर म्युनिसिपैलिटियों को हिदायत की थी कि वे जहां तक हो सके उनकी बेहतरी का प्रबन्ध करें। अब इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि वह इन शर्तों के साथ जो मिल मजदूरों के लिये मकान बनाने की योजनाओं में रक्खी हैं, मेहतरों के सुधार और आराम पर खर्च करने के लिये रुपया का ऋण और आधी सहायता के तौर पर दें। जब मैंने अभी कहा था कि सरकार ने वाटर वर्क्स के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनायी है उसका समय १९५३–५४ से १९५७–५८ तक रक्खा गया है। और अब उसके अनुसार म्युनिसिपैलिटियों को ऋण और ग्रांट की शक्ल में रुपया चालू वर्ष में और अगले वर्ष में दिया जाने वाला है। इसमें ७ वाटर वर्क्स और एक ड्रेनज का काम समाप्त हुआ है। इसके समाप्त होने के बाद इस राज्य में वाटर वर्क्स की संख्या ४० और ड्रेनेज की संख्या १० हो जाती है। इसके अतिरिक्त १३ पुराने वाटर वर्क्स फिर से ठीक किये गये हैं।

सरकार ने एक एड-हाक बोर्ड (ad-hoc-board) इसलिये बनाया है कि वह विधवा-गृहों (widow-homes) और अनाथालयों की देखभाल और उन्नति करे। इन विधवा गृहों (widow-homes) को चालू वर्ष में सरकार २०,००० रु० की सहायता देने जा रही है और अगले वर्ष के लिये ५०,००० रु० रखा गया है।

आगामी वर्ष में इस बजट में सात नये वाटर वर्क्स बनाने और तीन पुराने वाटर वर्क्स की हालत ठीक करने के लिये और २ ड्रेनेज की योजनाओं को पूरा करने के लिये रुपया रक्खा गया है।

पंचायत सेक्रेट्रियों की तनख्वाहों और गांव सभाओं को अचानक आ जाने वाली मुसीबतों के वक्त पर खर्च के वास्ते रुपया देने के लिये ६० लाख ५० हजार रु० रक्खा गया है।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

इस बजट में ४ लाख ११ हजार ५ सौ रुपया इसलिये भी रक्खा गया है कि पंचायत के हिसाब जांचने के लिये १ आडिट मशीनरी स्थापित की जाय। यह योजना अपना खर्च खुद बरदाश्त करने वाली होगी।

अन्त में मैं इतना और कहूंगा कि पंचायतों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपैलिटियों वगैरह पर उस खर्च के अतिरिक्त जो यह सब अपनी आमदनियों से करते हैं, सरकार को भी अपने पास से पांच करोड़ से अधिक रुपया सालाना देना पड़ता है। इस पर भी उनकी स्थिति उतने ऊंचे दरजे की नहीं है जितनी कि सरकार की निगाह में होनी चाहिये। इस चर्चा को समाप्त करने के पहिले इतना और बता देना चाहता हूं कि चालू वर्ष में सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचरों की तनख्वाह की अदायगी के लिये और इसलिये कि भविष्य में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनकी तनख्वाहें वक्त से अदा किया करें, ४० लाख रु० दिया था। उनको फाइनेंस करने का महत्वपूर्ण प्रश्न भी सरकार के सामने है और वह फ़िक्र के साथ उस पर विचार कर रही है।

यह चर्चा जो मैं इस समय कर रहा था उसे समाप्त करने के पहले मैं अपनी और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की ओर से कुम्भ मेले में हुई दुर्घटना पर बहुत अफसोस और रंज का इजहार करता हूं। सरकार ने उस मेले के संबंध में जितने जरूरी इन्तजाम हो सकते थे किये थे और चाहा था कि वहां यात्रियों को कोई तकलीफ न पहुंचे। परन्तु इसका रंज है कि वहां वह हुआ जो न होना चाहिये था।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट तथा नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस

३९---उन ९ कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक के अतिरिक्त जो पिछले साल खोले गये थे, इस साल १७ ब्लाक और खोले गये हैं। जितनी जगहों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स योजना का काम चालू है वे ६,००० वर्ग मील हैं और आबादी २६ लाख है। उन्नत बीज (Improved seed) और औजार, केमिकल, खाद और खाद देने के तरीकों और बढ़ाई हुई सिंचाई-सुविधाओं (Irrigation facilities) और उन्नत किस्म के खेती करने के ढंगों के द्वारा खेती में उन्नति करने का काम भी बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है।

सीड सेचुरेशन की योजना का काम भी इन रकबों में बहुत आगे बढ़ा है और यह आशा की जाती है कि गेहूं, ज्वार और बालों के अन्दर अगले वर्ष में बहुत उन्नति हो जायगी यह तरीका भी जारी किया गया है कि उन्नत बीज (Improved seed) को इस ढंग से बोया जाय कि उस बीज से जितना कि अब उगता है बहुत कम बीज बोने से अधिक पैदावार प्राप्त हो और इन रकबों में सिंचाई को और चीजों पर तरजीह दी गई है। यह आशा है कि अगले दो वर्षों में ५० प्रतिशत यानी कि ५० फीसदी रकबे को सिंचाई मिल जायगी। पशु-पालन के प्रोग्राम, बीमारियों के रोकथाम और इलाज के लिये प्रबन्ध, यातायात का श्रमदान के द्वारा विकास, सामाजिक शिक्षा का प्रबन्ध और अपना खर्चा-खुद सहने वाले घरेलू धन्धों का कायम करना ये सब वे कार्य हैं जो इन रकबों में किये जा रहे हैं।

जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स स्थापित हैं इस वर्ष में ४० नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक खोले गये और अगले वर्ष में खोले जाने वाले हैं। इन ब्लाकों में १८ केन्द्र ऐसे खोले गये हैं जहां एक आदमी को कई काम करने के लायक बनाया जाय। इस वर्ष में श्रम दान के भी आन्दोलन चलाये गये। तालाब खोदने, बंधिया, पुलियां, गूलें बनाने, कंकड़ इकट्ठा करने और पेड़ लगाने के लिये गड्ढे बनाने के काम इस वर्ष में किये गये और जो काम पिछले आन्दोलन में किये गये थे उनको भी दुरुस्त करने के कार्य को इस आन्दोलन में तरजीह दी गई।

बेरोजगारी

४०---इन दिनों उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पहले से अधिकतर बताई जाती है। सरकार भी समझती है कि बेरोजगारी है। यह चीज ऐसी है कि दुनिया में सभी जगह कुछ न कुछ

हमेशा मौजूद रहती है । पूर्ण रोजगारी समाज का लक्ष्य यानी "टारगेट" होना चाहिये और जिनके पास उनकी आवश्यकता से कम रोजगार हों उनको भी जरूरत के मुताबिक रोजगार मिलना चाहिये । परन्तु सरकार समझती है कि यह लक्ष्य पूर्ण तौर पर शायद ही कभी किसी देश को प्राप्त हुआ हो । इन बातों के बावजूद यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जहां पर भी जितनी भी बेरोजगारी हो उसको कम सेकम मुमकिन समय में दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । इस राज्य सरकार को इसका खेद है कि यहां बेरोजगारी और आवश्यकता से कम रोजगारी है और सरकार की दिली तमन्ना है कि इसे जल्द से जल्द दूर करे ।

जो पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश की है उसमें कितनी ही योजनायें ऐसी हैं जिनसे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिलने वाली है । ऐसी योजनायें उद्योग-धंधों, शिक्षा, यातायात, कृषि, सहायता तथा पुनर्वास यानी रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन, सिंचाई, बिजली तथा नियोजन यानी प्लानिंग की योजनाओं में विशेष कर सम्मिलित हैं और फिर यह भी है कि इसके अतिरिक्त सरकार अपने कार्यों में जितना विस्तार करती है उससे भी बेरोजगारी को दूर होने में किसी न किसी हद तक मदद मिलती है ।

मैं चाहता था कि कोई ऐसे आंकड़े पेश करूं जिनसे इसकी जानकारी हो सके कि आखिर यह बेरोजगारी कितनी है । परन्तु कठिनाई यह है कि केवल उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि सारे भारत में कोई ऐसे डाटा (data) प्राप्त नहीं हैं जिनसे कोई आंकड़े तैयार हो सकते हों । सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां से कुछ आंकड़े मिलते हैं । मैं पूर्ण विश्वास के साथ उनके सम्बन्ध में भी यह नहीं कह सकता कि वे बिलकुल ठीक ही हैं । मेरा मतलब एम्लायमेंट एक्सचेंज से है । चूंकि ये आंकड़े पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं इसलिये उन्हें यहां पर दिये बिना मैं इतना बतलाता हूं कि उनसे किसी हद तक इस की जानकारी मिलती है कि हमारे स्कूलों और कालेजों से जो लोग पढ़कर निकलते हैं उनमें कितनी बेरोजगारी है और इसका भी पता चलता है कि ऐसे लोगों को रोजगार प्राप्त होने की गति क्या है । जो स्थिति इन आंकड़ों से हमारे सामने आती है उसकी मांग यह है इस हालत को जल्द से जल्द दूर करने के रास्ते निकालें । जो बजट मैंने पेश किया है उसमें उस वित्तीय सहायता के अतिरिक्त जो हर साल सरकार उद्योग-धंधों को स्थापित करने और उनके बढ़ाने के लिये दे रही है फाइनेंस कारपोरेशन स्थापित करने की योजना का बनाया जाना, टेकनिकल स्कूलों में और ज्यादा ट्रेनिंग का प्रबन्ध करना, सामान्य शिक्षा के कुछ स्कूलों में टेकनिकल शिक्षा का इंतजाम किया जाना, देहाती पाठशालाओं में और पढ़ाई के साथ-साथ कृषि का सिखाया जाना, पंच-वर्षीय योजना, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम—ये सब चीजें ऐसी हैं जो इस देश में रोजगार को बढ़ाने वाली हैं । सरकार इस राज्य में अब तक जितने काम करती रही है और जो इस साल और आगामी साल के बजटों में सम्मिलित थे और हैं उनका बहुत अधिक हिस्सा ऐसा है जिससे इस रोग का इलाज होता है ।

श्रमदान

४१—अगर्चे इसकी बाबत कोई-कोई बात और जगह भी आ चुकी है मगर यह हमारे राज्य की एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच रही है । मैं इसका विशेष चर्चा करना आवश्यक समझता हूं । नेशनल करेक्टर बनाने के लिये जहां और बातें चाहिये वहां यह भी चाहिये की श्रम को जलील न समझा जाय और उसके करने से विशेषकर देश के लाभदायक कामों के सम्बन्ध में न रोका जाय । हमारे पास पंचवर्षीय योजना है जिसके कितने ही कामों में श्रम से बहुत सहायता मिल सकती है । चूंकि यह योजना पब्लिक के लाभ के लिये बनाई गयी है इसलिये पब्लिक को इससे दिलचस्पी होनी चाहिये और लोगों को इसे अपना काम समझना चाहिये । जिस उत्साह की इस दिलचस्पी के लिये आवश्यकता है वह श्रम के दान करने से भी पैदा होता है । जो कुछ इस प्रदेश में मैंने देखा है उसके लिहाज

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

से यह कह सकता हूं पंच-वर्षीय योजना लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींचने में सफल हो रही है और उसके लिये श्रम का दान देने में केवल यही नहीं कि लोग हिचकते नहीं है बल्कि उसके देने के लिये दौड़ते हैं।

अभी पिछले दिनों जो आन्दोलन किया गया मैंने उसमें हजारों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को सड़क बनाते, गड्ढे खोदते, पुरानी सड़कों की मरम्मत करते खुद देखा और यह पाया कि बावजूद इसके कि वहां पर कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था वे लोग बड़े शौक से काम कर रहे थे। जैसे मैंने अपनी पिछली बजट स्पीच में श्रमदान से किये गये काम का ब्योरा दिया इस वक्त भी देता, परन्तु वह अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

४२—विकास और उन्नति के जितने कामों की मैं चर्चा कर चुका हूं वे इतने काफी हैं कि उनके पूरा हो जाने पर उत्तर प्रदेश के रहने वालों की आर्थिक स्थिति की लाजमी तौर पर उन्नति होनी चाहिये। जहां इतने और ऐसे-ऐसे काम जो मैंने बयान किये हैं हो रहे हों वहां माली खुशहाली न आये यह नहीं हो सकता, आयेगी और जरूर आयेगी और हम सब अपनी सच्ची कोशिशों में सफल होंगे।

अपील

४३—मैंने आज के भाषण में उत्तर प्रदेश की स्थिति और उस स्थिति को ऊपर उठाने के लिये जिन कामों के किए जाने की आवश्यकता है और जो किये जा रहे हैं उनका एक पूरा फोटो सदन के सामने रखा है। यह मैंने इस लिये किया है कि हम सब मिलकर अपनी पूरी शक्ति इस देश को ऊंचा उठाने में लगावें। इस देश के सभी रहने वाले आज एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जिसके एक ओर समुद्र और दूसरी ओर किनारा है और वह मौका है कि जिसको कहा जाता है कि अभी या कभी नहीं। हम आज चाहे देश को बना लें चाहे बिगाड़ें यह सब हम पर है। एकता के साथ सबके लिए मिलजुल कर सेवा में लग जाने का समय है। रायों में अन्तर भी हो सकते हैं। जुदा-जुदा पार्टियां भी हो सकती हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाय तो इसे इमर्जेंसी का वक्त कहा जा सकता है जिसमें ऐसे झगड़ों और रायके अन्तरों को अलग रख कर सब को एक ओर होकर देश का काम करना पड़ता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन के इधर उधरके सब सदस्यों से केवल उन्हीं से नहीं अगर मेरी आवाज इस सदन के बाहर जा सके तो उत्तर प्रदेश के सब रहने वालों से वे कोई भी हों उनसे जोरदार अपील करता और प्रार्थना करता कि उत्तर प्रदेश हमारा है और हम इसके हैं उसका हम पर हक है और हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसकी आवश्यकता के समय उसके काम आयें। उस पर अपनी हिम्मतें निसार करें, उसको भूख, मुफलिसी और बेसामानी की मुसीबत से निकाल कर ऊंचा और बहुत ऊंचा उठायें। स्वतंत्र होने के बाद हम आपस में इख्तिलाफों, संघर्षों और गलत राहों पर चलने की बदौलत उसकी सेवा करने से कतरा गये, रास्ते की कठिनाइयों से घबरा गये और जो कुरबानियां हमको देनी चाहियें थीं वह न दीं। हमारे बाद आने वाली नस्लें हमको इल्जाम देंगी कि हमने हौसला हिम्मत और समझ रखने वाले इन्सानों की तरह अपने कर्त्तव्यों को अदा नहीं किया। हम खुद डूबे और अपने साथ उत्तर प्रदेश को भी ले डूबे। नहीं-नहीं! मुझे विश्वास है कि हम समझेंगे, हम इख्तिलाफों को भूलेंगे, कठिनाइयों का मुकाबिला करेंगे और माल हो या कुछ हो सब की बाजी लगाकर उत्तर प्रदेश को परवान चढायेंगे। आओ हम सब मिलकर पंच-वर्षीय योजना को सफल बनायें और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश को एक चमन बना दें।

४४—आखिर में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी श्री बी०जी० राऊ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काबिलियत के साथ उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति की रक्षा की है और अपने कर्त्तव्य को इस तरह अदा किया है कि हमारी साख में किसी प्रकार का अन्तर न आने पाये। मैं श्री बी०बी० लाल ज्वाइन्ट फाइनेंस सेक्रेटरी का भी आभारी हूं कि उनसे भी सरकार को फाइनेंस या वित्त के सभी कार्यों

में बहुत सहायता मिली है । मैं श्री बी० के० एस० गोयल, श्री केशव दास और श्री नरेश चन्द्र रे और वित्त-विभाग के सब अहलकारों को धन्यवाद देता हूं कि उन सब ने इस बजट की तैयारी में दिन रात मेहनत करके मदद की । उनके अतिरिक्त वह सब भाई भी जिन्होंने तर्जुमा करने और बजट स्कीम के सम्बन्धित कामों के अंजाम देने में सहायता की है मेरे धन्यवाद के मुस्तहक हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५४-५५ का बजट पेश करता हूं ।

१९५४-५५ के आय-व्ययक पर विवादार्थ निश्चित कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, बजट अब इस समय पेश हुआ और इसका समय ११ से था तो मैं यह चाहूंगा कि इसका सामान्य वाद-विवाद मंगलवार से शुरू हो और मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इसको मान लें ताकि हम लोगों को जरा इसको तैयार करने और पढ़ने में काफी सहूलियत हो ।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—बजट का जो प्रोग्राम बना हुआ है उसमें परिवर्तन कैसे होगा यह मेरी समझ में नहीं आता । और उस रोज मेरी समझ में सामान्य वाद-विवाद के लिये बहुत ज्यादा समय की ऐसी आवश्यकता नहीं । राजनारायण जी अगर उचित समझें तो दूसरे दिन बोललें (हंसी) । मैं वैसे नहीं कह रहा हूं इसमें कोई वैसी बात नहीं है । आपको अगर कुछ ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है तो सभी तो बहुत ज्यादा मेहनत करते नहीं । मैं बहुत बेजा बात नहीं कह रहा हूं, मैं वैसे कह रहा हूं फिर आप दूसरे दिन बोलले मगर काम रुके नहीं क्योंकि वह सारा प्रोग्राम बना हुआ है । वोटिंग की डेट्स जो हैं वे कायम हो चुकी हैं उनको बदलना मुश्किल होता है । इस लिये यह दिक्कत है । तीन दिन मिलेंगे । उनमें एक दिन और लोग जो आप के वहां वैकवेंचर्स हैं वे लोग बोल लें और आप दूसरे दिन बोल लें। अगर यह सम्भव हो सके तो ऐसा किया जाय क्योंकि उसका जो प्रोग्राम बनता है वह तो गवर्नर के ऐप्रूवल और आप सब की मश्विरा से बनता है । मैं समझता हूं कि यह अफसोस की बात है कि इतनी देरी हुई । जल्दी होजाती तो अच्छा था । चाहिये यह था कि ११ बजे आज होता मगर ऐसा हुआ कि आपको पहले खाना कम मिला था इस लिये जरूरत हुई कि जब अपना पेट भरा हो तब यह शुरू हो ।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार प्रकट किया उनसे मैं सहमत हो सकूं, लेकिन लाचार हूं कि जो क्रम पहले से था वह टूट गया है । ११ बजे इस बजट को पेश होना था पर अब पेश हुआ है । तो एक हद तक क्रम तो टूट गया है । अन्त में मैं यह कहूंगा कि जिस आइने को चमकाने के लिये माननीय वित्त मन्त्री जी ने दो घंटे के लिये उसके अध्ययन करने के लिये विरोधी दल के सदस्यों को कम से कम दो दिन का समय दिया जाय । यदि पूरे दो दिन न दिये जा सकें तो सोमवार की शाम को यदि आप उचित समझें तो करलें । उससे पहले करना तो बहुत ही कम समय देना होगा ।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि सोमवार को सवा दो बजे से ७ बजे शाम तक असेम्बली हो । इससे सब के लिये सहूलियत होगी ।

श्री अध्यक्ष—श्री शिवमंगल सिंह जी का एक सुझाव है कि सोमवार को असेम्बली सवा दो बजे से ७ बजे तक हो । इसमें दिन का दिन कायम रहेगा इस लिये मैं समझता हूं कि इस सुझाव पर भी विचार कर लिया जाय ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि असेम्बली सभा दो बजे से सात बजे रात तक हो और दूसरे दिन भी एक घंटे के लिये बढ़ा दी जाय। लेकिन प्रोग्राम कैसे अपसेट हो इसी का सवाल है। क्योंकि २५ से प्रोग्राम बन चुका है इसको कैसे बदला जा सकता है? लिहाजा मैं चाहता हूं कि असेम्बली ३ बजे से ७ बजे तक पहले दिन हो और दूसरे दिन बजाय ५ बजे से ६ बजे तक बैठा जाय।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३ मिनट पर सोमवार, २२ फरवरी, १९५४ के ३ बजे अपराह्न तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२० फ़रवरी, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा
जनता पब्लिशर

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४७ एल० ए०—१९५४-७८५०।